


भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए


संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)
2014 की प्रतिवेदन सं. 6

11 8 जुलाई 2014को लोक सभा एवं राज्यसभा के पटल पर रखी गई



विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
कार्यकारी सार	iii
अध्याय I सेवा कर प्रशासन	1
अध्याय II नियमों एवं विनियमों का अननुपालन	31
अध्याय III आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता	37
परिशिष्ट I	61
परिशिष्ट II	62
शब्दावली	72



2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)


प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में सेवा कर की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों में, 2012-13 के दौरान की गई नमूना जाँच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में सम्मिलित न किए गए निष्कर्ष शामिल हैं।



कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में सेवा कर से संबंधित 151 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 265.75 करोड़ है। मंत्रालय/विभाग ने फरवरी 2014 तक ₹ 262.29 करोड़ के राजस्व की 147 लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 65.28 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

अध्याय I: सेवा कर प्रशासन

- सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वि.व. 09 में 4.80 प्रतिशत से घट कर वि.व. 13 में 4.69 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान, जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 1.08 से बढ़ कर 1.31 तक पहुँच गया। वि.व. 13 में सेवा कर राजस्व 36 प्रतिशत तक बढ़ कर ₹ 1,32,601 करोड़ हो गया था।

(पैराग्राफ 1.6 और 1.7)

- वित्त अधिनियम की धारा 69 के तहत सेवा कर पंजीकरणों की संख्या वि.व. 09 में 12.26 लाख से वि.व. 13 में 18.71 लाख हो गई इसमें 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.13)

- पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में 75 प्रतिशत से अधिक के ई-फाइल विवरणियों को एसीईएस द्वारा समीक्षा और सुधार चिह्नित किया गया था। 31 मार्च 2013 तक, 14.74 लाख विवरणियां (समीक्षा और सुधार हेतु चिह्नित विवरणियों का 80 प्रतिशत) सुधारात्मक कारवाई हेतु लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.17)

- लगभग 50 प्रतिशत सेवा कर निर्धारिती जो सालाना ₹ 1 करोड़ के राजस्व का भुगतान करते थे, की लेखापरीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग द्वारा देय थी किन्तु वह 2012-13 के दौरान बिना लेखापरीक्षा के पड़े रहे।

(पैराग्राफ 1.19)

- वि.व. 13 में 10 प्रतिशत वापसी दावों के निपटान में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब था। इसके अलावा, मार्च 2013 तक ₹ 11,000 करोड़ वाले लगभग 2000 दावे 1 वर्ष से अधिक से निपटान हेतु लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.24)

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

- 31 मार्च 2013 तक ₹ 64,599.24 करोड़ के अधिक के सेवा कर के अधिनिर्णय मामले अन्तिम निपटान हेतु लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.26)

- 31 मार्च 2013 तक ₹ 1,37,950.40 करोड़ के सेवा कर के मामले अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित थे।

(पैराग्राफ 1.28)

- बकाया की वसूली में सुधार हेतु विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों ने कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला था। वि.व. 13 के दौरान की गई वसूली अर्थात् ₹ 2,321.69 करोड़ वर्ष के प्रारंभ में बकाया के 12 प्रतिशत से नीचे रहा।

(पैराग्राफ 1.29)

- पिछले 5 वर्षों (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) के दौरान कुल ₹ 1,508.45 करोड़ के सेवा कर वाले 851 लेखापरीक्षा पैराग्राफ सूचित किए गए थे। सरकार ने ₹ 1,398.90 करोड़ वाले 815 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की थी और ₹ 395.09 करोड़ की वसूली की थी।

(पैराग्राफ 1.31)

अध्याय II: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के गलत लाभ/उपयोग, कर का भुगतान न करने/कम भुगतान करने और विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करने के मामले पाए जिनमें ₹ 237.17 करोड़ का सेवा कर शामिल था।

(पैराग्राफ 2.1)

अध्याय III: आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- हमने अन्य बातों के साथ साथ कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब, विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली समीक्षा और आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों के मामले पाए। इन आपत्तियों में ₹ 28.58 करोड़ का सेवा कर निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 3.2)

अध्याय I

सेवा कर प्रशासन

संघ सरकार के स्रोत

1.1 भारत सरकार के स्रोतों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व स्रोत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार दर्शाती है जो वि.व. 2012-13 के लिए ₹ 53,67,988.99 करोड़ थी।¹ इनमें से ₹ 10,36,460.45 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 13,99,951.05 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	करोड़ ₹
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	13,47,437.62
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,58,989.47
ii. अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	4,77,470.98
iii. सहायता अनुदान एवं अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	3,10,977.17
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	25,889.80
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	26,623.63
घ. उधार प्राप्तियां	39,68,037.94
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	53,67,988.99
टिप्पणी: कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से सौंपे गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 2,91,546.61 करोड़ शामिल है।	

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत बनाई गई भारत की संचित निधि में अन्य बातों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण राजस्व शामिल है। भारत की राजस्व प्राप्तियाँ कर और गैर-कर स्रोतों दोनों से प्राप्त होती हैं। कर राजस्व में मुख्य रूप से संघ सरकार द्वारा लगाए गए करों/शुल्कों से प्राप्त आय अर्थात् आय कर (कृषि आय के अतिरिक्त) और धन पर कर, निगम कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाओं पर कर इत्यादि शामिल हैं जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 के तहत प्रविष्टियों द्वारा कवर होती हैं।

करों को मुख्य रूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य रूप से उन व्यक्तियों जिन पर कर लगाया/आरोपित किया जाता है द्वारा सरकार को सीधे दत्त

¹ स्रोत: वि.व 2012-13 के संघ वित्त लेखे (अनंतिम)।

करों को प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इनमें आय कर, निगम कर, धन कर इत्यादि शामिल हैं।² दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर वह हैं जिनमें एक इकाई पर कर लगाया जाता है जबकि कर का भार किसी और इकाई पर पड़ता है।

अप्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2 अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंधित है और इस अर्थ में यह व्यक्ति के बजाए लेन देन विशिष्ट है। संसद के अधिनियमों के तहत लगाए जाने वाले मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क नीचे सूचीबद्ध हैं;

क) **केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:** यह शुल्क भारत में निर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84) वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने की शक्तियां हैं।

ख) **सीमा शुल्क:** भारत में आयातित माल और भारत से निर्यात होने वाले कुछ माल (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83) पर यह शुल्क लगाया जाता है।

ग) **सेवाओं पर कर:** कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रविष्टि 97)।³

सेवा कर

1.3 सेवा कर एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर एक कर है।⁴ वित्त अधिनियम की धारा 66बी में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाना परिकल्पित है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में प्रदान या प्रदान करने की सहमति और जैसा कि निर्धारित किया गया

² आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, पृष्ठ 61 की तालिका 3.4 के नीचे टिप्पणी से पता चलता है कि व्यक्तिगत आय कर और निगम कर के अलावा, प्रत्यक्ष करों में व्यय, ब्याज, धन, उपहार और संपदा शुल्क से संबंधित कर शामिल हैं।

³ संविधान (अठ्ठासीवां संशोधन) अधिनियम 2003, जिसे 15 जनवरी 2004 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में 'सेवाओं पर कर' के अनुच्छेद 268ए, अनुच्छेद 270 को संशोधन और प्रविष्टि 92सी की प्रविष्टि प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। तथापि, अधिनियम अभी लागू किया जाना है।

⁴ कर व्यवसायियों का अखिल भारतीय संघ बनाम भारतीय संघ 2007(7) एसटीआर 625(एससी); तमिलनाडु कल्याण मंडपम एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ 2006(3) एसटीआर 260 (एससी)।

हो उसी तरीके से संग्रहित।⁵ वित्त अधिनियम की धारा 65बी (44) में 'सेवा' को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए प्रतिफल हेतु की गई कोई भी गतिविधि (उसमें सम्मिलित नहीं की गई मदों के अलावा) के रूप में परिभाषित किया गया है और जिसमें एक घोषित सेवा सम्मिलित है।⁶

संगठनात्मक ढांचा

1.4 वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग (डीओआर) केन्द्रीय बोर्ड राजस्व अधिनियम 1963 के अधीन गठित एक सांविधिक बोर्ड नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में नियंत्रण रखता है। सीबीईसी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित अप्रत्यक्ष कर के उदग्रहण और संग्रहण की देख-रेख करता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर विभाग की समग्र कर्मचारी संख्या 73,814 है।⁷ परिशिष्ट 1 सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा दर्शाता है।

1.5 23 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर ज़ोनों में संबंधित मुख्य आयुक्तों के तहत 104 क्षेत्रीय आयुक्तालय कार्य करते हैं। इन आयुक्तालयों में से 77 (7 विशेष सेवा कर आयुक्तालय, 66 एकीकृत केन्द्रीय उत्पाद और सेवा कर आयुक्तालय और 4 बड़े करदाता इकाईयां आयुक्तालय) देश में सेवा कर के निर्धारण और संग्रहण में शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार ने सेवा कर से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए 1997 में महानिदेशक सेवा कर (डीजीएसटी) के रूप में एक अधीनस्थ कार्यालय का गठन किया है।⁸

अप्रत्यक्ष कर राजस्व की वृद्धि

1.6 2012-13 के दौरान संघ सरकार के सकल कर राजस्व ने ₹ दस लाख करोड़ की सीमा रेखा को पार कर लिया। तालिका 1.2 (क) वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए जीडीपी और सकल कर राजस्व दोनों की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व को दर्शाती है।⁹ 2012-13 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 4.69 था। इस प्रकार हाल ही के वर्षों में जीडीपी आँकड़े के मामले में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से की 5

⁵ वित्त अधिनियम 2012 द्वारा धारा 66बी 1 जुलाई 2012 से समाविष्ट किया गया था, धारा 66डी में नकारात्मक सूची में शामिल मदों की सूची है।

⁶ वित्त अधिनियम की धारा 66ई में घोषित सेवाओं की सूची है।

⁷ मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2013 तक दिए गए आंकड़ें

⁸ डीजीएसटी वर्तमान में मुम्बई से संचालित है।

⁹ पीआईबी का प्रेस नोट, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी मंत्रालय। 7 फरवरी 2014 का प्रेस नोट दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 के लिए जीडीपी के आँकड़े चालू बाजार मूल्य पर आधारित द्वितीय संशोधित अनुमान हैं और 2012-13 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान हैं जिसका आधार वर्ष 2004-05 है। आँकड़े लगातार सीएसओ द्वारा संशोधित किये जा रहे हैं और डेटा मैक्रो आर्थिक प्रदर्शन के साथ राजकोषीय प्रदर्शन की सांकेतिक तुलना के लिए है।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

प्रतिशत से कम रहने की प्रवृत्ति जारी है। जीडीपी में वि.व. 09 में ₹ 56.30 लाख करोड़ से बढ़ कर वि.व. 13 में ₹ 101.13 लाख करोड़ हो गई जबकि अप्रत्यक्ष कर वि.व. 09 से ₹ 2.70 लाख से बढ़ कर वि.व. 13 में ₹ 4.74 लाख करोड़ हो गये।

अप्रत्यक्ष करों में सकल कर राजस्व का हिस्सा वि.व. 10 में 39.29 प्रतिशत से वि.व. 13 में 45.80 प्रतिशत के बीच था।

तालिका 1.2 (क): राजस्व प्राप्तियां

वर्ष	सकल कर राजस्व		जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व	
	(जीडीआर)	अप्रत्यक्ष कर राजस्व*		जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व	अप्रत्यक्ष कर राजस्व
वि.व.09	6,05,298	2,69,988	56,30,063	44.60	4.8
वि.व.10	6,24,527	2,45,373	64,77,827	39.29	3.79
वि.व.11	7,93,307	3,45,371	77,95,314	43.54	4.43
वि.व.12	8,89,118	3,92,674	90,09,722	44.16	4.36
वि.व.13	10,36,460	4,74,728	101,13,281	45.80	4.69

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार कर प्राप्तियों के आंकड़े; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

*यहां प्रमुख अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के आंकड़े शामिल हैं।

सेवा कर की वृद्धि - प्रवृत्ति और संरचना

1.7 तालिका 1.2 (ख) जीडीपी और सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर (एसटी) राजस्व को वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए दर्शाती है। इस अवधि के दौरान सकल कर राजस्व में सेवा कर का हिस्सा 10.07 प्रतिशत से बढ़ कर 12.79 प्रतिशत हो गया। वि.व. 13 के दौरान सेवा कर राजस्व में 36 प्रतिशत के आस पास (2012-13 के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित) वृद्धि हुई। 2012-13 के बजट में 2011-12 (आरई) की तुलना में सेवा कर से राजस्व में 30.5 प्रतिशत की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। यह वर्तमान 10 प्रतिशत की कर दर से 12 प्रतिशत की वृद्धि पर और कर आधार में परिवर्तन पर आधारित था। सेवाओं की सूची में विस्तार की सामान्य परम्परा के विपरीत, 2012-13 के बजट में 1 जुलाई 2012 से एक 'नकारात्मक सूची' दृष्टिकोण प्रारंभ किया गया।¹⁰ जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची के प्रारंभ के साथ नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट को छोड़कर सभी सेवाएं कराधान के अधीन हैं।

2012-13 में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया सेवा कर राजस्व 1.31 प्रतिशत की ऊँचाई तक गया था।

¹⁰ आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13, पैरा 3.21।


तालिका 1.2 (ख): सेवा कर राजस्व की वृद्धि

वर्ष	एसटी	पिछले वर्ष से वृद्धि की %	जीडीपी	जीपीडी के रूप में एसटी	सकल कर राजसव	सकल कर राजस्व के % के रूप में एसटी
वि.व.09	60,941	-	56,30,063	1.08	6,05,298	10.07
वि.व.10	58,422	(-)4.13	64,77,827	0.90	6,24,527	9.35
वि.व.11	71,016	21.56	77,95,313	0.91	7,93,307	8.95
वि.व.12	97,509	37.31	90,09,722	1.08	8,89,118	10.97
वि.व.13	1,32,601	35.99	101,13,281	1.31	10,36,460	12.79

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

1.8 तालिका 1.3 वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के लिए जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों की वृद्धि पथ दर्शाती है। पाँच वर्षों की अवधि में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क राजस्व के अंश में समग्र गिरावट आई। तथापि, वि.व. 13 के दौरान बजट में परिवर्तन (2012-13) के कारण जीडीपी के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिशत अंश में वृद्धि दर्ज की गई है। वि.व. 11 से जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर के अंश में बढ़ती प्रकृति दिखाई दी है। प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष राजस्व योगदान चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।



तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

वर्ष	जीडीपी	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सीई राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीई राजस्व	एसटी	जीडीपी के % के रूप में एसटी राजस्व
वि.व.09	56,30,063	99,879	1.77	1,08,613	1.93	60,941	1.08
वि.व.10	64,77,827	83,324	1.29	1,02,991	1.59	58,422	0.90
वि.व.11	77,95,313	1,35,813	1.74	1,37,701	1.77	71,016	0.91
वि.व.12	90,09,722	1,49,328	1.66	1,44,901	1.61	97,509	1.08
वि.व.13	101,13,281	1,65,346	1.63	1,75,845	1.74	1,32,601	1.31

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों के अनुसार हैं; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।

मुख्य योगदान करने वाली सेवा श्रेणियों से सेवा कर राजस्व

1.9 तालिका 1.4 मुख्य सेवा श्रेणियों से सेवा कर संग्रहण दर्शाती है। शीर्ष राजस्व अर्जक (बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं, दूरसंचार, सहायक व्यवसाय सेवाएं, सामान्य बीमा प्रीमियम पर कर) के अलावा हाल ही में शुरू की गई सेवा कर श्रेणियाँ जैसे अचल संपत्ति किराए पर देना और निर्माण कार्य करार सेवाएं कुछ प्रमुख प्रदर्शन करने वाली श्रेणियां हैं। नीचे तालिका में सूचीबद्ध सेवा श्रेणियों के अलावा, सेवाएं जैसे आवासीय परिसर का निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और कंसल्टिंग इंजीनियर सेवाओं ने पिछले कुछ वर्षों में सेवा कर संग्रहण में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है।

तालिका 1.4: मुख्य सेवा वर्गों से सेवा कर

	करोड़ ₹										
वर्ष	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं	सूचना प्रौद्योगिकी	व्यवसाय सहायक सेवाएं	सामान्य बीमा पर कर	व्यवसाय समर्थन सेवाएं	अचल संपत्ति का किराया	निर्माण कार्य करार	श्रमशक्ति भर्ती	अनुरक्षण और मरम्मत	सड़क द्वारा माल परिवहन	
वि.व.09	3,925.59	3,123.61	4,147.93	3,279.16	1,604.35	2,577.93	1,306.23	2,101.02	2,280.98	3,225.65	
वि.व.10	4,066.05	2,884.94	3,646.54	3,125.54	1,934.92	2,015.24	1,848.87	2,077.41	2,221.14	2,644.01	
वि.व.11	4,345.23	3,902.31	3,916.81	3,876.57	2,688.86	2,829.24	3,092.08	2,869.87	2,522.38	3,040.13	
वि.व.12	5,875.91	5,402.45	5,255.64	5,233.57	4,344.88	4,339.77	4,179.00	3,847.14	3,494.98	3,407.24	
वि.व.13	4,964.37	7,538.34	5,030.51	6,320.91	4,368.45	4,773.62	4,454.87	4,431.84	2,998.57	3,429.34	

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखों। वि.व. 13 के आंकड़े अनंतिम वित्त लेखों के अनुसार हैं।

वर्तमान में वि.व. 13 से संबंधित लेखे 120 शीर्षों के प्रति राजस्व प्राप्तियां दर्शाते हैं (पूर्व के 119 वर्ग वार कोड के अलावा एक नया लेखा कोड 00441480 जिसका विवरण 'अन्य कर योग्य सेवाएं')। तथापि यह पाया गया कि जुलाई 2012 से प्रभावी नकारात्मक सूची प्रारंभ होने के बाद से और दिनांक 20 नवम्बर 2012 को सीबीईसी परिपत्र सं. 165/16/2012 के जारी होने तक, लेखांकन उद्देश्यों के लिए कोई विशिष्ट सेवा वर्ग नहीं थे। नकारात्मक सूची के तहत सेवा कर के भुगतान के उद्देश्य के लिए सभी लेखे "सभी कर योग्य सेवाएं" - 00441089 शीर्ष के तहत थे।¹¹ इस प्रकार संबंधित वर्गों के वास्तविक योगदान पर पहुंचने के लिए वि.व. 13 के लिए संबंधित सेवा वर्ग शीर्षों के तहत आंकड़ों का समायोजन करना होगा।

¹¹ 6 जुलाई 2012 के परिपत्र 161/12/2012 द्वारा निर्धारित।

सेवा कर प्राप्तियों की तुलना में प्रयोग किया गया सेनवेट क्रेडिट

1.10 सेवा कर के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव था सेनवेट क्रेडिट का लाभ और उपयोग करने की सुविधा की शुरुआत करना।¹² कानून में बाद में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यथा समय माल और सेवाओं के बीच उपयोग को कवर करने के क्षेत्र का विस्तार हुआ जो प्रभावी रूप से सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दोनों करों में सामन्जस्य स्थापित करने की दिशा में एक कदम होगा।

एक सेवा प्रदाता उसकी सेवा गतिविधियों से संबंधित इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर तथा इनपुट तथा/अथवा पूँजीगत वस्तुओं पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्रेडिट का लाभ ले सकता है और सेवा कर के भुगतान में लिए गए क्रेडिट का उपयोग कर सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यक्तिगत बही खाते (पीएलए) तथा सेनवेट क्रेडिट खाते के माध्यम से नकद में प्रदत्त सेवा कर का विवरण दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: सेवा कर: पीएलए तथा सेनवेट का उपयोग

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त सेवा कर		सेनवेट क्रेडिट* द्वारा प्रदत्त सेवा कर		पीएलए भुगतान के % के रूप में सेनवेट क्रेडिट से प्रदत्त सेवा कर
	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	राशि	पिछले वर्ष से % वृद्धि	
वि.व.09	60,941	18.79	18,457	72.30	30.29
वि.व.10	58,422	(-4.13)	25,880	40.22	44.30
वि.व.11	71,016	21.56	29,418	13.67	41.42
वि.व.12	97,509	37.31	13,536	(-53.99)	13.88
वि.व.13	1,32,601	35.99	5,507	(-59.32)	4.15

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े; 2012-13 के आंकड़े अनंतिम हैं।¹³

तालिका 1.5 दर्शाती है कि पिछले दो वर्षों में सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से प्रदत्त सेवा कर की पीएलए (नकद) से प्रतिशतता में गिरावट आई है (तथापि, वि.व.13 के अंतिम आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं)।

सेवा कर में बजटीय मुद्दे

1.11 तालिका 1.6 सेवा कर के संदर्भ में बजटीय आकलनों, संशोधित आकलनों तथा तदनुसूची वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के बीच तुलना प्रस्तुत करती है।

¹² सेवा कर क्रेडिट नियमावली, 2002 के माध्यम से जिसे बाद में बदलकर सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 किया गया था।


¹³ दिनांक 9 जनवरी 2014 का मंत्रालय के पत्र द्वारा; वि.व.13 हेतु अंतिम आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

तालिका 1.6: सेवा कर - बजटीय आकलन, संशोधित आकलन तथा वास्तविक प्राप्तिया

वर्ष	बजट आकलन (बीई)	संशोधित आकलन (बीई)	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तिओं तथा बीई के बीच अंतर	बीई की प्रतिशतता के अनुसार	करोड़ ₹	
						वास्तविक प्राप्तिओं तथा संशोधित आकलन के बीच अन्तर	संशोधित आकलन की प्रतिशतता के अनुसार अन्तर
वि.व.09	64,460	65,000	60,941	(-3,519)	(-5.46)	(-4,059)	(-6.24)
वि.व.10	65,000	58,000	58,422	(-6,578)	(-10.12)	422	0.73
वि.व.11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	1,616	2.33
वि.व.12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2,509	2.64
वि.व.13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-96)	(-0.07)

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज। वि.व.13 के आंकड़े अनंतिम वित्त लेखे के अनुसार हैं।

तालिका 1.6 दर्शाती है कि वास्तविक प्राप्तियां वि.व.09 तथा वि.व.10 के दौरान बजट आकलन से कम थी। वि.व.10 का कर राजस्व बजट आकलन से 10.12 प्रतिशत कम हुआ। सेवा कर की दर में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कमी तथा समग्र आर्थिक मन्दी ने वि.व.09 में संग्रहित राजस्व की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत तक की नकारात्मक वृद्धि में योगदान दिया। पिछले तीन वर्षों (वि.व.11, वि.व.12 तथा वि.व.13) के दौरान संग्रहणों ने पुनः वृद्धि प्रवृत्ति दिखाई है। वि.व.13 में संग्रहण बजटीय आकलनों से लगभग 6.93 प्रतिशत तक अधिक हुआ। हमने हाल के वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बजटीय आकलन/संशोधित आकलन तथा वास्तविक प्राप्तिओं के बीच अन्तर को बजटीय आकलन/संशोधित आकलन की प्रतिशतता के रूप में चार्ट 1.2 में दर्शाया है। जैसाकि चार्ट दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान संशोधित आकलन से वास्तविक प्राप्तिओं के बीच अन्तर कम था। वि.व.10 तथा वि.व.13 के दौरान अन्तर 1 प्रतिशत से कम था।



सेवा कर प्रशासन में प्रणालीगत मुद्दे

1.12 हमने रियायत आदि के कारण परित्यक्त सेवा कर राजस्व से संबंधित आंकड़ों की मांग सीबीईसी से की।¹⁴ प्रत्यक्ष कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क जैसे अन्य अप्रत्यक्ष कर के लिए तदनुरूप परित्यक्त राजस्व के विवरण को 2006-07 के आरंभिक

¹⁴ वि.व.04 सं. वि.व.13 की अवधि के लिए मांगे गए आँकड़े।

बजट के साथ आरम्भ करके प्रत्येक वर्ष के बजट। द्वारा संसद के समक्ष रखा गया। सीबीईसी ने उत्तर दिया कि सेवा कर के संदर्भ में आँकड़े को निम्नलिखित सीमा के कारण अनुरक्षित नहीं रखा जा रहा है।¹⁵

क) "30 जून 2012 तक, कराधान के लिए केवल विशेष सेवाएं उत्तरदायी थीं। तकनीकी रूप से कराधान के लिए अन्य सेवाएं उत्तरदायी नहीं थीं। जुलाई 2012 के पश्चात्, नकारात्मक सूची के अलावा अन्य सभी सेवाओं के लिए कराधान देय है। नकारात्मक सूची में कई सेवाएं ऐसी प्रविष्टियां जो संविधान में संघ के अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आती अथवा जिन पर प्रशासनात्मक कारणों के लिए कराधान नहीं लगाया जा सकता, से संबंधित थी (क्योंकि ऐसी सेवाओं अर्थात् वित्त सेवाओं के मूल्य को निर्धारित करना संभव नहीं है)। इस प्रकार, इन सेवाओं में सम्मिलित राजस्व को परित्यक्त राजस्व नहीं कहा जा सकता है।

ख) वर्तमान में, सभी सेवाओं पर 12 प्रतिशत की दर पर एकसमान कराधान है। सेवा भाग को आकर्षित करने हेतु कुछ कमी जो रियायत अधिसूचना के माध्यम से दी जाती है, संविधान के अनुसार माल तथा सेवा दोनों की दर सहित संयोजन करार में अनिवार्य है (उदाहरणार्थ कार्य करार, खाद्य तथा केटरिंग)। बहुत सी अन्य रियायत जैसे परिवहन के मामले में लागत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक सुविधा के लिए दी गई है। इस प्रकार, इन्हें परित्यक्त राजस्व के रूप में व्यवहारित नहीं किया जा सकता है।

ग) सेवा के मामले में, उन क्षेत्रों जहां कुछ रियायतों को मंजूरी दी गई है, के संदर्भ में सेवा आबंटन के आँकड़े उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण सीमा है।"

हमने पाया कि यह उत्तर पर्याप्त आँकड़े के अभाव में सेवा कर के लिए परित्यक्त राजस्व आँकड़े के अनुरक्षण न होने के तथ्य पर मंत्रालय की स्वीकृति दर्शाता है, के अलावा यह भी सूचित किया जा सकता है कि मंत्रालय कर अन्तर विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं है। मंत्रालय को सेवा कर के परित्यक्त राजस्व आँकड़े के आकलन के तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संदर्भ में, इसका दृष्टिकोण एसीईएस से आँकड़े का बहिर्वेशन करना है (क्षेत्र आधारित रियायत योजना के संचालन के कारण परित्यक्त शुल्क को संबंधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन से पृथक रूप से प्राप्त करना तथा जमा करना है)।¹⁶

¹⁵ दिनांक 7 जनवरी 2014 का सीबीईसी का पत्र।

¹⁶ वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्ति बजट का परिशिष्ट 12 तथा "परित्यक्त राजस्व का विवरण" 2013-14 बजट के दौरान संसद को प्रस्तुत किया।

निर्धारिती आधार

1.13 वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 65(7) में वर्णित के अनुसार, “निर्धारिती” से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो सेवा शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी है तथा इसमें उसके एंजेट भी शामिल है।

तालिका 1.7 वित्त अधिनियम की धारा 69 के तहत सेवा कर विभाग के साथ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के आंकड़े (वि.व.09 से वि.व.13 तक से संबंधित) दर्शाती है। इसमें दर्शाए गए आंकड़े अक्टूबर 2013 में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े के अनुसार हैं।

तालिका 1.7: सेवा कर में कर आधार


वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरण की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी भरी है
वि.व.09	106	12,26,100	-	7,641
वि.व.10	109	13,39,812	9.27	55,405
वि.व.11	117	14,94,449	11.54	1,79,344
वि.व.12	119	16,76,105	12.16	7,06,535
वि.व.13	*	18,71,939	11.68	6,08,013

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े¹⁷।

*01.07.2012 से प्रभावी, कुछ अपवर्जन/अपवादों को छोड़कर अधिकतर गतिविधियाँ एसटी के प्रति दायी है।

तालिका 1.7 दर्शाती है कि वि.व.09 से वि.व.13 तक पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ी थी। आँकड़े संकेत देते हैं कि वि.व. 2012 तक सांविधिक विवरणी भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। तथापि, वि.व.13 में पिछले वर्ष के आँकड़े की तुलना में विवरणी भरने वाले निर्धारितियों की संख्या में लगभग 1 लाख तक की कमी हुई। इसके अलावा, वि.व.13 में पंजीकृत व्यक्तियों में से केवल 33 प्रतिशत ने विवरणी भरी थी। चार्ट 1.3 मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर स्थिति को दर्शाता है।

मंत्रालय को विवरणी भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों की कम प्रतिशतता के कारणों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। निर्धारिती जिन्होंने वि.व.13 के दौरान विवरणी भरी है, की संख्या में तेजी से गिरावट आना विशेष चिंता का विषय है।



¹⁷ दिनांक 11 अक्टूबर 2013 का सीबीईसी पत्र देखें। 2013 की एआर संख्या 17 के लिए प्रस्तुत आँकड़ों के साथ आँकड़ों का समेकन प्रतीक्षित है।

इसके अलावा, मंत्रालय को केवल व्यक्तियों जिन्होंने धारा 69 के तहत पंजीकरण लिया है अथवा व्यक्तियों जिन्होंने धारा 70 के तहत विवरणी भरी है, की संख्या के अलावा वित्त अधिनियम की धारा 65(7) में वर्णित के अनुसार निर्धारितियों की संख्या प्राप्त करने/अनुमान लगाने के साधन पर विचार करने की आवश्यकता है।

सेवा कर आधार का विस्तार-आयुक्तालय में विशेष सेल का निर्माण

1.14 राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कर आधार के विस्तार की आवश्यकता है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ती निर्भरता के साथ, व्यक्तियों जो कर भुगतान के उत्तरदायी तो थे परन्तु भुगतान करने से बचे थे, की पहचान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सूचना के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उन्हें कर के दायरों में लाया जा सके जिसके फलस्वरूप कर आधार का विस्तार हो।

सेवा कर के महानिदेशक ने कार्रवाई योजना तैयार की तथा इसे 26 मई 2003 को मुख्य आयुक्तों को वितरित किया। योजना के अनुसार येलो पेजिज, समाचार पत्रों के विज्ञापन, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण तथा वेबसाइट, नगर निगमों से सूचना तथा पीएसयूज और निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारिती तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न सेवाओं से संबंधित आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से अपंजीकृत सेवा प्रदाता पर जानकारी प्राप्त करना क्षेत्र संरचना के लिए आवश्यक है। इसके बाद, सीबीईसी ने संभावित निर्धारितियों की पहचान करने के लिए प्रत्येक आयुक्तालय में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए।¹⁸ तालिका 1.8 आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाने की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 1.8: आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाने की स्थिति

31 मार्च 2014 तक निर्मित विशेष सेल की संख्या	विशेष सेल के निर्माण से नए एसटी पंजीकर्ताओं की संख्या	विशेष सेल द्वारा आरंभिक पहचान पर आधारित कॉलम (2) में से पंजीकरण
कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)
96	61,163	8,401

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।¹⁹

यह पाया गया कि यद्यपि सेवा कर कार्य करने वाले सभी आयुक्तालयों में विशेष सेल बनाया गया है तथापि, सम्बंधित कम संख्या के व्यक्तियों का पंजीकरण विशेष सेल की भूमिका के सहयोग से हुआ है।

¹⁸ दिनांक 23 नवम्बर 2011 का सीबीईसी का निर्देश द्वारा।

¹⁹ दिनांक 7 जनवरी 2014 का सीबीईसी पत्र द्वारा।

सेवा कर में कर प्रशासन

सामरिक योजना को अंतिम रूप देना

1.15 सीबीईसी ने आगामी 5 वर्षों के लिए अपनी सामरिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए स्वयं एक लक्ष्य तिथि (15 दिसम्बर 2013) तय की।²⁰ सामरिक योजना को अभी मंजूरी मिलना शेष है। जैसाकि सामरिक योजना अपने मिशन के साथ-साथ अपने बताए दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सीबीईसी (तथा संगठनों) की प्रगति का मार्गदर्शन करेगी, इस दिशा में सम्मिलित प्रयास किए जाने आवश्यक है।

विवरणियों की संवीक्षा

1.16 सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्व. निर्धारण की धारणा प्रारंभ की। स्व निर्धारण प्रारंभ होने के साथ, विभाग ने एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र के साथ-साथ विवरणी की संवीक्षा के माध्यम से प्रावधान की परिकल्पना की। यहां तक कि स्व निर्धारण काल में भी, विभागीय अधिकारियों का प्राथमिक कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की सुनिश्चिता को जारी रखना है क्योंकि ये वे हैं जिन पर कर भुगतान की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए वैदयानिक दायित्व है।²¹ इसे सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जिन्हें जोखिम मानदण्डों के आधार पर चयनित किया जाता है। सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009 में परिकल्पित है कि संवीक्षा दो स्तरों अर्थात् विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा जिसे एसीईएस (केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन) द्वारा किया जाता है तथा निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जिसे एसीईएस अथवा अन्य द्वारा चिन्हित विवरणी पर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।

विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा

1.17 प्रारंभिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी को समय पर जमा करना, शुल्क का समय पर भुगतान, शुल्क के रूप में संगठित राशि की गणितीय शुद्धता को सुनिश्चित करना तथा नान फाइलरों और स्टोप फाइलरों की पहचान करना है।²² सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत ऑकड़ों पर आधारित, हमने **तालिका 1.9** में विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा करने में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाया है।

²⁰ 2012-13, खण्ड 2 तथा 3 के लिए आरएफडी।

²¹ सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2.1ए।

²² सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2.1।

तालिका 1.9: सेवा कर विवरणियों की प्रारंभिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस* में विवरणी भरने वाली की संख्या	आर एंड सी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आर एंड सी हेतु विवरणियों का %	आर एंड सी के पश्चात् भरी विवरणियों की संख्या	आर एंड सी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	संशोधन के लिए लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि.व.11	1,39,431	1,12,302	80.54	22	1,12,280	99.9
वि.व.12	9,09,718	7,00,066	76.95	83,664	6,16,397	88
वि.व.13	22,42,332	18,42,137	82.15	3,67,256	14,74,874	80

*संबंधित वर्ष की 31 मार्च तक।

हमने पाया कि वि.व.11 से वि.व.13 की अवधि के दौरान 75 से 83 प्रतिशत की प्रतिशतता दर के मध्य प्रत्येक वर्ष एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलें समीक्षा तथा संशोधन के लिए चिन्हित हैं। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक समीक्षा तथा संशोधन के लिए अभी तक लंबित चिन्हित विवरणियों की संख्या में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है कि सेवा कर विवरणी की अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को 1 अक्टूबर 2011 से क्रियान्वित किया गया था तथा इसलिए एसीईएस के माध्यम से विवरणी संवीक्षा को कम से कम 2012-13 तक स्थिर हो जाना चाहिए था।²³ ऑनलाइन प्रारंभिक संवीक्षा को शुरू करने की पीछे मुख्य धारणा में से एक विस्तृत व्यक्तिगत रूप से संवीक्षा जो तब रेंज/ग्रुप का मुख्य कार्य बन सकता था, के लिए मानवशक्ति निकालना था।²⁴ आर एंड सी पहचान के पश्चात् सुधार हेतु लंबित अधिक आँकड़े दर्शाते हैं कि यह उपलब्धि से कोसों दूर है।

समीक्षा तथा सुधार (आर एंड सी) के लिए संवीक्षित विवरणियों की बहुत अधिक प्रतिशतता को छोड़ दिया गया तथा परिणामस्वरूप सुधारात्मक कार्यवाही के बिना लंबित विवरणियों की अधिक संख्या एसीईएस में कमियों को दर्शाती है, जिस पर विभाग को तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है।

सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

1.18 विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में प्रस्तुत सूचना की वैधता सुनिश्चित करना तथा मूल्यांकन की शुद्धता, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, वर्गीकरण तथा रियायत अधिसूचना आदि की स्वीकृति लेने के पश्चात् लागू कर की प्रभावी दर को सुनिश्चित करना है।²⁵ प्रारंभिक संवीक्षा के विपरीत विस्तृत संवीक्षा करदाताओं द्वारा भरी गई विवरणी में प्रस्तुत

²³ दिनांक 25.8.2011 की राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 43/2011-एसटी द्वारा।

²⁴ सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 1.2 बी।

²⁵ सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 1.2.1।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

सूचना से विकसित जोखिम मानदण्डों के आधार पर पहचानी गई कुछ चयनित विवरणियों को कवर करती हैं।²⁶

सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों पर आधारित तालिका 1.10 में हमने विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाया है।

तालिका 1.10: सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	31 मार्च तक विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित तथा विवरणी	31 मार्च तक 6 माह से अधिक के लिए लंबित संवीक्षा हेतु	लंबन का समयवार विश्लेषण		
			6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्षों के बीच	>2 वर्ष
वि.व.11	6,232	4,046	3,550	351	145
वि.व.12	11,425	8,045	5,667	1,959	419
वि.व.13	23,838	21,095	19,791	934	370

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

तालिका 1.10 विस्तृत संवीक्षा के संदर्भ में लंबन को दर्शाती है। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, केवल 2 प्रतिशत विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा में जांच की आवश्यकता है।²⁷ तथापि, किसी रेंज के संदर्भ में एक वर्ष में संवीक्षित विवरणियों की कुल संख्या बहुत कम होगी (देश में सभी रेंजों में लंबित कुल संख्या 31 मार्च 2013 तक केवल 23,838 थी)। यह चिन्ता का कारण है कि 2 वर्ष से अवधि के लिए लंबित कुछ चयनित विवरणियां हैं। धोखाधड़ी के समान मामलों जैसे निश्चित प्रकार के मामलों के अलावा, निर्धारिती द्वारा विवरणी भरने की तिथि से 18 माह के बाद एक निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।²⁸ यह आवश्यक है कि विभाग को दीर्घ लंबन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ताकि सरकार को सुनिश्चित राजस्व पर्याप्त रूप से रक्षित हो।

हमने यह भी पाया कि क्षेत्रीय आयुक्तालय द्वारा डीजीएसटी, मुम्बई को भेजी जा रही मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एमटीआर) के अनुबंध XII-बी में निर्धारित प्रारूप में केवल 'विवरणी की संवीक्षा' है तथा पृथक रूप से प्राथमिक और विस्तृत संवीक्षा नहीं है। विवरणी की संवीक्षा पर एमटीआर अनुबंध के प्रारूप को संशोधित किए जाने की आवश्यकता है ताकि डीजीएसटी द्वारा अनुपालन सत्यापन के इस महत्वपूर्ण तत्व की सार्थक मॉनीटरिंग की सुविधा हो। संबंधित एमटीआर अनुबंध के प्रारूप तथा विस्तृत संवीक्षा के संदर्भ में एक अधिकार के साथ

²⁶ दिनांक 23 अप्रैल 2009 के सीबीईसी परिपत्र संख्या 113/7/2009।

²⁷ सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मैनुअल, 2009, पैरा 4.2 ए।

²⁸ 28.5.2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम द्वारा '1 वर्ष' के स्थानापन्न के लिए वित्त अधिनियम की धारा 73(1) में '18 माह'।

समेकित आँकड़े की अनुलब्धता से सेवा कर के संदर्भ में प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा के बीच अन्तर स्पष्ट करने वाले विभाग के अन्दर एक प्रवृत्ति का पता लग सकता है। यह देखना है कि अप्रैल 2009 में, सेवा कर के लिए विवरणी संवीक्षा मेनुअल प्रचारित करते समय सीबीईसी ने मुख्य रूप से संवीक्षा को प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा दो भागों में द्वािभाजित किया। सीबीईसी ने अनुभव किया कि प्राथमिक संवीक्षा की आनॅलाइन सुविधा कुशलता को बढ़ाएगी तथा व्यक्तिगत रूप से विस्तृत संवीक्षा जो तब रॅज/ग्रुप का मुख्य कार्य बन सकता है, के लिए श्रमशक्ति देगी।²⁹

हमने पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 1.88 में बताए अपने मुद्दे को पुनः दोहरा रहे हैं कि अधिक राजस्व वाली इकाईयों (इस रिपोर्ट के पैरा 1.19, 3.7 तथा 3.8 देखें) की कवरेज में भारी कमी के साथ मिलकर विस्तृत संवीक्षा में वर्तमान में जांच की गई कम प्रतिशतता एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हो सकती है।³⁰

विभाग द्वारा निर्धारितियों की लेखापरीक्षा

1.19 भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडा के मॉडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 की चार अलग विशेषताएं हैं: जोखिम विश्लेषण के पश्चात् वैज्ञानिक चयन, पूर्व-तैयारी पर जोर, सांविधिक रिकार्ड के प्रति व्यवसायिक रिकार्ड की संवीक्षा तथा लेखापरीक्षा बिन्दुओं की मॉनीटरिंग। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्राथमिक समीक्षा, प्रणाली की सूनना को एकत्र करना तथा दस्तावेजीकरण करना, आन्तरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा पद्धतियों के लिए जोखिम का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना का विकास करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा आपत्तियों की तैयारी, निर्धारिती/रॅज अधिकारी/संभागीय सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना तथा रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना शामिल है।

लेखापरीक्षा तंत्र के तीन भाग होते हैं। लेखापरीक्षा महानिदेशालय तथा क्षेत्रीय आयुक्तालय लेखापरीक्षा के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को शेर करते हैं। यद्यपि लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, अनुपालन तथा विश्लेषण तथा कर अनुपालन के सुधार हेतु सीबीईसी को इसकी प्रतिपुष्टि तथा क्लाइंट की संतुष्टि के स्तर को आँकने के लिए निदेशालय उत्तरदायी है तथापि, आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियमावली, जोखिम प्रबंधन नियमावली तथा ईए 2000 में प्रशिक्षित लेखापरीक्षकों के लिए नियमावली तथा सीएएटीज़ जो लेखापरीक्षा संचालन हेतु विस्तृत

²⁹ सेवा कर विवरणी की संवीक्षा हेतु मेनुअल, 2009, पैरा 1.2 बी।

³⁰ 2013 की एआर संख्या 17, पैरा संख्या 1.88, पेज 27।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)


प्रक्रिया निर्धारित करता है, के विकास में एशियाई विकास बैंक की सहायता ली। हमने लेखापरीक्षित इकाईयों की तुलना में आयुक्तालयों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा (वि.व.13 के दौरान) के लिए देय सेवा कर इकाईयों के विवरण को तालिकाबद्ध (तालिका 1.11) किया है।

तालिका 1.11 वि.व.13 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षा-सेवा कर

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	देय इकाईयों की संख्या	योजनित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (%)*
> ₹ 3 करोड़ एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग ए)	3,553	2,561	1,797	49
₹ 1 तथा ₹ 3 करोड़ के बीच एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग बी)	3,098	2,625	1,560	50
₹ 25 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग सी)	4,968	3,592	2,574	48
> ₹ 25 लाख एसटी का भुगतान करने वाली इकाइयां (वर्ग डी)	71,946	10,346	8,007	89

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े। * लेखापरीक्षित इकाई के साथ देय लेखापरीक्षा की संख्या की तुलना करके लेखापरीक्षा में कमी निकाली गई है।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वि.व.13 के दौरान, इकाईयों के सभी वर्गों में देय लेखापरीक्षा की तुलना में की गई सेवा कर लेखापरीक्षा में अधिक कमी थी। वि.व.13 में वर्ग ए इकाईयों (अनिवार्य इकाईयों) तथा वर्ग बी इकाईयों (अधिक राजस्व वाली गैर-अनिवार्य इकाईयों) में लगभग 50 प्रतिशत की कमी थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।³¹ विभाग ने वर्ग डी



³¹ 2013 की एआर संख्या 17, पैरा 1.83, पेज 26।

की 8,007 इकाईयों की लेखापरीक्षा की जबकि वर्ग ए तथा वर्ग बी के क्रमशः 1,756 तथा 1,538 इकाईयों की लेखापरीक्षा नहीं की गई। योजनित तथा लेखापरीक्षित इकाईयों (सभी वर्गों को एक साथ रखकर 27 प्रतिशत कमी) के बीच अधिक अन्तर चिंता का विषय है चूँकि यह योजना की असक्षमता को दर्शाता है।

चार्ट 1.4 वि.व.13 में निश्चित, योजनित तथा संचालित लेखापरीक्षाओं की स्थिति दर्शाता है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित वर्ग ए इकाईयों की संख्या में भारी कमी (49 प्रतिशत) सूचित करती है कि सेवा कर इकाईयों की लेखापरीक्षा के संदर्भ में, सीबीईसी का प्रदर्शन 2012-13 के लिए इसके आरएफडी दस्तावेज में सबसे कम लक्ष्य/मापदण्ड मूल्य से भी कम है (60 प्रतिशत उपलब्धि को अपर्याप्त के रूप में लिया जाता है)।³²

2013 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट एआर संख्या 17 के पैरा 1.82 के एटीएन द्वारा मंत्रालय ने कहा कि बोर्ड ने अनिवार्य इकाईयों की कीमत पर गैर-अनिवार्य इकाईयों की अधिक संख्या में लेखापरीक्षा के चलन को कम करने के लिए दिनांक 16 मार्च 2012 के पत्र में मुख्य आयुक्तों को निर्देश जारी किए थे।

अंतिम मूल्यांकन के मामलों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

1.20 सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(4) में अनुबंधित है कि जहां एक निर्धारित सेवा कर की देय योग्य वास्तविक राशि को जमा करने की तिथि पर सही रूप से आकलित करने में असमर्थ है, वहां वह अंतिम आधार पर सेवा कर के भुगतान की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त जैसा भी मामला हो, को अनुरोध कर सकता है। मूल्यांकन के ऐसे मामलों में अंतिम मूल्यांकन के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों उन्हें छोड़कर जो बांड के कार्यान्वयन से संबंधित है, के प्रावधान लागू होंगे।

तालिका 1.12 पिछले तीन वर्षों के दौरान अंतिम मूल्यांकन मामलों के लंबन के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.12 अंतिम मूल्यांकन के मामलों का लंबन

वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों	सम्मिलित राजस्व	लंबन का समयवार वर्गीकरण			
			6 माह से कम	6-12 माह	1-5 वर्ष	5 वर्षों से अधिक
वि.व.11	33	2338.89	3	2	18	10
वि.व.12	24	2346.75	1	2	11	10
वि.व.13	26	2032.54	2	5	10	9

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

³² 2013-13 के लिए सीबीईसी का आरएफडी, खण्ड 2, पेज 5।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि सेवा कर में 31 मार्च 2013 तक निपटान हेतु केवल 26 अनंतिम मूल्यांकन मामले थे। तथापि, यह चिंता का विषय है कि 5 वर्षों से अधिक के लिए लंबित मामलों की संख्या कुल संख्या के 34.6 प्रतिशत है। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले मामलों की संख्या में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं थी। यद्यपि, सामान्य नियम यह है कि अनंतिम मूल्यांकन के सभी मामलों को अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।³³ तथापि नियम के परन्तुक अनुसार दिखाए गए पर्याप्त कारकों तथा लिखित में दर्ज कारणों के साथ आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष तक/आगे ऐसे समय जो भी उचित समझा जाए, के लिए विस्तारण दिया जा सकता है।

अपवंचन रोधी

1.21 सेवा कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर आयुक्तालयों एवं डीजीसीईआई दोनों की सु-परिभाषित भूमिकाएँ हैं। जहाँ आयुक्तालय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति तथा उनके क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डॉटाबेस के साथ कर अपवंचन के विरुद्ध प्रथम सुरक्षा पंक्ति हैं, वहीं डीजीसीईआई महत्वपूर्ण राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना के संग्रह में विशेषज्ञता प्राप्त है। इस प्रकार संग्रहीत आसूचना आयुक्तालयों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय असर वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जाँच भी की जाती है।

तालिका 1.13 (क) तथा 1:13 (ख) डीजीसीईआई तथा आयुक्तालयों के पिछले तीन वर्षों से संबंधित प्रदर्शन को दर्शाती हैं। हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क परिचयन के मामलों के संबंध में अनुरूपी आँकड़े भी दर्शाये हैं।

तालिका 1.13 (क): डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी प्रदर्शन

वर्ष	परिचयन				जाँच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान		करोड़ ₹
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	
	सं.	राशि	सं.	राशि	राशि	राशि	
वि.व.11	732	1,355.65	458	4,352.12	137.19	293.94	
वि.व.12	450	1,139.63	452	4,919.03	255.23	433.84	
वि.व.13	458	2,940.22	835	5,131.23	1,018.96	880.08	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े।

³³ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 का नियम 7।

तालिका 1.13 (ख): आयुक्तालयों का अपवंचन रोधी प्रदर्शन

वर्ष	परिचयन				जाँच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान	
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर
	सं.	राशि	सं.	राशि	राशि	राशि
वि.व.11	2,854	5,564.47	2,959	4,200.03	711.31	894.36
वि.व.12	2,877	2,787.98	3,403	6,747.63	965.17	823.23
वि.व.13	2,150	3,415.29	5,875	7,826.61	482.48	2,818.71

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए आँकड़े।

अपने जोनल कार्यालयों सहित डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए सेवा कर मामलों तथा राशियों की संख्या 2011-12 तथा 2010-11 में पता लगाए गए मामलों की संख्या की तुलना में 2012-13 के दौरान उल्लेखनीय ढंग से बढ़ी है। सेवा कर अपवचनों के संबंध में पता लगाई गई राशि 2012-13 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पता लगाई गई राशि के दोगुने से ज्यादा थी।

आयुक्तालयों में भी स्थिति समान ही थी क्योंकि तीन वर्षों की अवधि के दौरान सेवा कर अपवंचन के परिचयन में अविरल विकास हुआ था। सेवा कर में पता लगाई गई राशियाँ 2012-13 तथा 2011-12 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुरूपी आँकड़ों के दोगुने से अधिक थीं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के डीजीसीईआई के परिचयनों को एक साथ देखा जाए तो 3-वर्षीय अवधि में पता लगाई गई राशियों के संबंध में एक अविरल वृद्धि बनी हुई है। (वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 5,707.77 करोड़, ₹ 6,058.66 करोड़ तथा ₹ 8,071.45 करोड़); परिचयनों की संख्या 2011-12 में एक गिरावट से गुजरने के बाद 2010-11 में 1,190 की तुलना में 2011-12 में 902 से 2012-13 में 1,293 तक बढ़ गई थी।

समान रूप से, आयुक्तालयों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर परिचयनों की तुलना करते समय हमने देखा कि पता लगाए गए मामलों की संख्या तीन वर्ष की अवधि में निरंतर बढ़ी थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में पता लगाई गई राशियाँ भी 2012-13 में ₹ 11,242 करोड़ तक बढ़ गई थी।

संग्रह की लागत

1.22 हमने तालिका 1.14 में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संग्रह के अनुरूपी आँकड़ों के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के संग्रह में वहन किये गए व्यय को दर्शाया है। मंत्रालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संबंध में लागत के आँकड़ों का विभाजन उपलब्ध नहीं करा सका।

तालिका 1.14: संग्रह की लागत


वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियाँ	सेवा कर प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	संग्रह की लागत	प्राप्तियों के % के रूप में संग्रह की लागत
वि.व.11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि.व.12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,262	0.94
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,446	0.79

स्रोत: प्राप्तियों के लिए आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तलेखाओं से हैं; वि.व. 13 का डाटा अनंतिम आँकड़ों पर आधारित हैं; संग्रह की लागत के आँकड़े मंत्रालय से हैं।

आईसीटी के स्वचालन तथा व्यापक प्रयोग के होते हुए भी, संग्रह की लागत निरपेक्ष पद में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शाती है। यद्यपि प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित की गई, संग्रह की लागत जो लगभग 1 प्रतिशत (वि.व. 11 एवं वि.व. 12 के लिए आँकड़े) होती थी, 2012-13 में 0.79 तक गिर गई थी। 2012-13 के लिए संग्रह की लागत प्रतिशत में प्रत्यक्ष करों के लिए संग्रह की लागत के आँकड़ों के साथ तुलनीय है जो सामान्य रूप से 0.75 प्रतिशत से कम है।³⁴

प्रतिदाय

1.23 निर्यात की गई सेवाओं पर भुगतान किये गए करों तथा निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गए करों का प्रतिदाय वि.व. 05 में आरंभ किये गए प्रावधानों के माध्यम से संभव हो गया। बाद में किये गए संशोधनों के परिणाम स्वरूप सेवाओं (वि.व. 06) के निर्यात पर इनपुटों पर भुगतान किये गए करों के प्रतिदाय के साथ माल के निर्यात में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर भुगतान किये गए करों की प्रतिपूर्ति को कवर करने के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है। हमने तालिका 1.15 (क) में वि.व. 09 से वि.व. 13 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा आबंटित प्रतिदायों को तालिका बद्ध किया है।³⁵



³⁴ 2011-12 की सी एवं एजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 27, पैरा 1.5.4, पेज 15।

³⁵ प्रतिदाय वित्तलेखाओं में उपशीर्ष (ग) के तहत दर्शाये गये हैं - लघु शीर्ष के तहत प्रतिदाय कटौती प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए 0044 के तहत खोले गए हैं।

तालिका 1.15(क): सेवा कर में प्राप्तियाँ एवं प्रतिदाय

वर्ष	सेवा कर प्राप्तियाँ	प्रतिदाय	करोड़ ₹	
			सेवा कर राजस्व का % के रूप में प्रतिदाय	
वि.व.09	60,941	169.04	0.28	
वि.व.10	58,422	606.56	1.04	
वि.व.11	71,016	520.12	0.73	
वि.व.12	97,356	1,327.56	1.36	
वि.व.13	1,32,601	1,615.52	1.22	

*स्रोत: संघ वित्त लेखा से एसटी प्राप्तियाँ; वि.व. 13 के आंकड़े अनंतिम डाटा पर आधारित हैं। प्रतिदाय के लिए आंकड़े प्र.सीसीए, सीबीईसी से हैं।

तालिका दर्शाती है कि दर्शायी गई अवधि (वि.व. 09 से वि.व. 13) के दौरान, प्रत्येक वर्ष कुल प्रतिदाय सेवा कर प्राप्तियों के 2 प्रतिशत तक था। चार्ट 1.5 भी चित्रित रूप से समान स्थिति दर्शाता है।

प्रतिदाय दावों का निपटान

1.24 तालिका 1.15 (ख) विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति को दर्शाती है। दर्शाया गया विलम्ब दावों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक सभी विवरणों के साथ प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तिथि से लिए गए समय के रूप में है।

तालिका 1.15(ख): सेवा कर में प्रतिदाय दावों का निपटान

वर्ष	वर्ष के दौरान प्राप्त ओबी प्लस दावे	वर्ष के दौरान निपटानों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या				करोड़ ₹		
			3 मास में एवं निपटानों का %	विलम्ब के साथ निपटाये गए दावे			मामलों की संख्या	भुगतान किया गया ब्याज	
			< 3 महीने	< 3 से 6 महीने	< 6 महीने से एक वर्ष	> 1 वर्ष			
वि.व.11	27,156	17,477	13,440 (77%)	762	784	772	1,719(10%)	0	0
वि.व.12	27,120	18,306	13,209 (72%)	672	465	568	3,392 (8%)	2	0.02
वि.व.13	26,672	15,897	12,328 (77%)	855	717	308	1,689 (11%)	1	0.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़े।

डाटा दर्शाता है कि सेवा कर से संबंधित प्रतिदाय दावों के निपटान का लगभग 75 प्रतिशत 3 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर किया गया है।³⁶ हमने देखा कि वि.व. 13 में ₹ 0.12 करोड़ राशि के ब्याज का केवल एक मामले के संबंध में भुगतान किया गया था (वि.व. 12 में 2 दावों के संबंध में भुगतान किया गया कुल ब्याज ₹ 0.02 करोड़ था)। तथापि, यह कि विभाग प्रतिदाय आवेदनों (मामलों के कम से कम 10 प्रतिशत के संबंध में 1 वर्ष से अधिक) के लगभग 25 प्रतिशत के निपटान हेतु 3 महीने से अधिक समय ले रहा था, कर दाता सेवाओं के संबंध में इसके प्रदर्शन को अच्छा नहीं दर्शाता। चूँकि प्रतिदाय दावों का समयबद्ध निपटान सीबीईसी के मुख्य उद्देश्यों, अर्थात्, करप्रदाता सेवाओं में सुधार, को पूरा करने की तरफ 2012-13 के लिए इसके आरएफडी में इसके द्वारा चिन्हित कार्यवहियों में से है, यह आवश्यक है कि बोर्ड प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया हेतु सभी अपेक्षित आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद विलम्ब हेतु कारणों का विश्लेषण करे।

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.15(ग) में वि.व. 11, वि.व. 12 तथा वि.व. 13 के मार्च 31 को 3 महीने से अधिक से निपटान हेतु लम्बित प्रतिदाय मामलों का एक अवधि-वार विश्लेषण दर्शाया है।

तालिका 1.15(ग): 31 मार्च को एसटी प्रतिदाय मामलों की अवधि वार विचाराधीनता

वर्ष	वर्ष के प्राप्त ओबी प्लस दावे	31 मार्च को 3 महीने से अधिक से लम्बित प्रतिदाय दावे		लम्बित प्रतिदाय दावे					
		संख्या	राशि	3 महीने एवं 180 दिनों के मध्य		180 दिनों से 1 वर्ष के मध्य		1 वर्ष से अधिक	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि.व.11	24,385	6,908 (28%)	30,941.21	2,675	7,729.55	1,186	10,162.60	3,047	13,049.06
वि.व.12	24,412	6,104 (25%)	60,756.81	2,889	25,907.33	1,387	20,283.33	1,828	14,566.15
वि.व.13	23,803	7,906 (33%)	41,874.26	3,970	19,259.61	1,854	10,758.42	2,082	11,856.23

*3 महीने तक लम्बित मामलो (जैसा 31 मार्च को) को छोड़ कर।

डाटा दर्शाता है कि 3 महीने (जैसा 31 मार्च को) से अधिक के लिए प्रतिदाय दावों का लम्बित निपटान 2013 में बढ़ा है। यद्यपि, लम्बित दावे विलम्ब अवधियों की सभी श्रेणियों में बढ़े हैं, तथापि लम्बित दावों से संबंधित राशि सभी श्रेणियों में घटी है; यह विभागीय अधिकारियों द्वारा उच्च मूल्य दावों के निपटान को प्रदान की गई उच्च प्राथमिकता का संकेत हो सकती है।

³⁶ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11बीबी वित्त अधिनियम, 1994 (जैसा संशोधित) की धारा 83 द्वारा सेवा कर पर लागू की गई है।

प्रतिदायों पर ब्याज का लेखांकन

1.25 हमारी पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने देखा था कि देर से हुए प्रतिदाय आवंटनों पर भुगतान किये गए ब्याज को लेखाओं में गलत तरीके से राजस्व में कमी के रूप में दर्शाया गया था।³⁷ मंत्रालय ने स्वीकार किया (मार्च 2013) कि प्रतिदायों पर भुगतान योग्य ब्याज के मामले को व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए तथा पारदर्शिता हेतु संसद को सूचित किया जाना चाहिए। इसने और कहा कि मामला सीबीडीटी के साथ चर्चा के अन्तर्गत था तथा दोनों बोर्डों का एक समान विचार होगा। तत्पश्चात्, दिनांक 11 फरवरी, 2014 के अपने एटीएन द्वारा, मंत्रालय ने प्रस्तुत किया कि प्रतिदाय पर भुगतान किया गया ब्याज एक वैधानिक उत्तरदायित्व है जो प्रकृति स्वरूप गैर-विवेकाधीन है तथा अनुदान अथवा विनियोग के उद्देश्य से व्यय कहलाने योग्य नहीं है जिस पर संविधान का अनुच्छेद 114 लागू होता है।³⁸

यद्यपि, हमने देखा कि संसदीय लेखा समिति (2013-14) ने 66वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही उत्तरों पर आधारित "वित्त मंत्रालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन: संसदीय अनुमोदन के बिना प्रतिदायों पर ब्याज पर वहन किया गया व्यय" पर अपनी छियान्वेवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में अपनी पिछली सिफारिश को दोहराया कि वित्त मंत्रालय संवैधानिक प्रावधानों तथा वित्तीय नियमों के अनुरूप एक प्रक्रिया निर्धारित करे ताकि कर प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान हेतु माँग में दर्शाया जाए तथा संसदीय अनुमोदन प्राप्त करे जैसा कि संविधान द्वारा आदेशित है।³⁹ पीएसी ने आगे कहा कि राजस्व विभाग के पास कर प्रतिदायों के ब्याज भुगतान हेतु से पूर्व या कार्योत्तर संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के सिवाए और कोई विकल्प नहीं है।⁴⁰

अधिनिर्णय

1.26 अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मुद्दों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अनंतिम आकलन इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णायक प्राधिकरण के एक निर्णय को निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

³⁷ 2013 की एआर सं. 17, पैरा 1.16, पेज 19।

³⁸ क 2013 की एआर सं. 17 के अध्याय 1 पर दिनांक 11 फरवरी 2014 का एटीएन।

³⁹ पीएसी की छियान्वेवीं रिपोर्ट (2013-13), भाग 11, पेज 28।

⁴⁰ पीएसी की छियान्वेवीं रिपोर्ट (2013-13), भाग 11, पेज 34।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

हमने तालिका 1.16(क) में सेवा कर अधिनिर्णयों का एक अवधि-वार विश्लेषण दर्शाया है; दर्शायी गई स्थिति वि.व. 11, वि.व. 12 तथा वि.व. 13 के 31 मार्च को अधिनिर्णय किये जाने के लिए शेष मामलों की है।

तालिका 1.16(क): सेवा कर में अधिनिर्णयों की विचाराधीनता

वर्ष	31 मार्च को लम्बित अधिनिर्णय		लम्बित अधिनिर्णय					
			< 1 वर्ष		1-2 वर्ष		>2 वर्ष	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.11	18,834	61,770.73	14,496	54,143.55	2,897	7,238.06	1,441	389.12
वि.व.12	17,182	68,509.11	12,735	51,192.88	3,054	15,770.15	1,393	1,546.07
वि.व.13	22,690	64,599.24	18,212	48,156.56	3,382	14,723.70	1,096	1,718.98

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।⁴¹

डाटा दर्शाता है कि 31 मार्च 2013 को 64,000 करोड़ से अधिक की राशि के राजस्व वाले अधिनिर्णय निर्धारण हेतु लम्बित थे। अधिनिर्णयों की संख्या के रूप में विचाराधीनता वि.व. 13 में 22,000 को पार कर गई थी। मार्च 2013 में ₹1,718.98 करोड़ के राजस्व वाले एक हजार से अधिक मामले दो वर्षों के अवधि से अधिक से अधिनिर्णय हेतु लम्बित थे।

तालिका 1.16(ख) लम्बित कारण बताओ जापनों/गैर पुष्टीकृत माँगों की मुख्य श्रेणियों को दर्शाती है।

तालिका 1.16(ख): लम्बित एससीएनज तथा शामिल राशि

वर्ष	करोड़ ₹									
	पंजीकरण कराने में विफलता		एसटी-3 रिटर्न का देर से भरा जाना		एसटी विलम्बित भुगतान		का एसटी का भुगतान करने में विफलता		कर योग्य सेवाओं के मूल्य को छिपाना	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.11	478	42.39	6,486	1.61	893	23.42	8,950	4,768.84	6,311	10,752.99
वि.व.12	408	59.94	1,434	0.07	650	7.89	7,815	12,615.23	5,037	12,626.62
वि.व.13	293	55.01	1,710	0.25	517	189.86	9,803	22,685.36	6,100	24,836.28

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।⁴²

सीएजी की 2013 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एआर सं. 17 के पैरा सं. 1.72 पर अपने एटीएन में, मंत्रालय ने कहा था कि बोर्ड ने लम्बित गैर पुष्टीकृत माँगों के निपटान की आवश्यकता पर बार-बार बल दिया है। वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक कार्य योजना में, बोर्ड ने सभी मुख्य आयुक्तों को निर्देशित किया था कि लम्बित गैर पुष्टीकृत माँगों का निपटान

⁴¹ सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनसर्मायोजन प्रतीक्षित है।

⁴² सीबीईसी के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 द्वारा।

व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि वर्ष के अन्त में एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए कोई मामला लम्बित ना हो।

स्थिति की गंभीरता इस तथ्य द्वारा दर्शायी गई है कि मार्च 2013 को, 2012-13 के लिए सेवा कर राजस्व संग्रह के 45 प्रतिशत से अधिक राशि (₹ 64,599.24) अधिनिर्णय के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है; यह विभाग के लिए अधिनिर्णयों का तीव्र निर्धारण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देने को विशिष्टता से दर्शाता है। हमारी पिछली रिपोर्ट में दर्शायी गई सेवा कर में अधिनिर्णयों के पूरा करने हेतु समय सीमा की आवश्यकता दोहराई जाती है।⁴³

कॉल बुक मामलों की विचाराधीनता

1.27 विषय पर मौजूदा परिपत्रों में इस बात पर विचार किया गया है यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश, सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियों के वाद-विवाद आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, की कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (सीएक्स) ने दिनांक 03.01.2005 के अपने डी.ओ. एफ सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कि कॉल बुक में मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए माहवार समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया कि इससे कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है।

हाल के कुछ वर्षों के दौरान सेवा कर में कॉल बुक निपटान के संबंध में हमने विभाग के प्रदर्शन से संबंधित डाटा को सारणीबद्ध किया और देखा कि कॉल बुक मामलों का लंबन निरंतररूप से बहुत अधिक बना हुआ है। तालिका 1.17 कॉल बुक में निपटान हेतु प्रविष्टियों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 1.17: 31 मार्च को लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	मामलें	शामिल राजस्व	वर्ष वार विचाराधीकता				करोड़ ₹
			< 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-5 वर्ष	> 5 वर्ष	
वि.व.11	6,430	15,667.47	3,003	2,065	1,135	227	
वि.व.12	8,350	20,273.45	2,736	3,157	2,162	295	
वि.व.13	8,637	21,339.85	3,203	2,451	2,673	310	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें।⁴⁴

⁴³ 2013 की एआर पत्र सं. 17, पैरा 1.73, पेज 22।

⁴⁴ सीबीईसी क पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए डाटा के साथ पुनसर्मायोजन प्रतीक्षित है।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

शामिल राजस्व के साथ-साथ कॉल बुक मामलों की संख्या वि.व.13 के दौरान बढ़ी है, जो मासिक समीक्षा प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता की निगरानी सहित बारीकी से निगरानी की आवश्यकता को दर्शाता है।

विभिन्न अपीलीय फोरमों में मामलों की विचाराधीनता

1.28 अधिनिर्णायक प्राधिकरणों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकरणों, न्यायालयों इत्यादि सहित कुछ अन्य प्राधिकरण हैं जहाँ न्यायिक बिन्दु, व्याख्याएँ इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, विभाग बहुत से मामलों में बलपूर्वक वसूली के उपायों की सहायता लेता है। राजस्व की बड़ी राशियाँ महत्वपूर्ण समयावधि के लिए भारत की संचित निधि से बाहर पड़ी रहती हैं। सीबीईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर, हमने तालिका 1.18 में विभिन्न फोरमों में मामलों की विचाराधीनता को तालिकाबद्ध किया है।

तालिका 1.18: विभिन्न अपीलीय फोरमों में मामलों की विचाराधीनता

वर्ष	के पास/के लिए लम्बित मामलों की सं.				मामलों की कुल सं.	कुल राजस्व	>2 वर्षों से लम्बित राजस्व	
	अपीलीय आयुक्त	सीबीईसी/सरकार	सेसटेट	न्यायपालिका				
वि.व.11	8,046	13	6,146	1,750	20,730	36,685	54,741.87	15,501.57
वि.व.12	11,235	2	8,456	1,551	22,426	43,670	80,095.89	15,611.29
वि.व.13	13,587	0	13,154	1,890	20,995	49,626	1,37,950.4	54,959.69

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।⁴⁵

अपीलीय फोरमों के समक्ष मामलों की संख्या (एवं शामिल राजस्व) वृद्धि पर हैं जैसा कि डाटा दर्शाता है। ₹ 1 लाख करोड़ से अधिक के राजस्व वाले मामले वि.व. 13 में अपीलों में लटके हुए थे। क्योंकि जब तक एक अपील लम्बित है, तब तक बकाया राजस्व की वसूली हेतु कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जा सकती, विशेषकर जहाँ एक निषेधाज्ञा प्रदान की गई है, राजस्व की इतनी बड़ी राशियों का अवरुद्ध हो जाना चिंता का विषय बन जाता है।

जून 2010 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय वाद नीति इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार एवं इसकी विभिन्न एजेन्सियाँ देश में न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों में प्रमुख वादी हैं। इसका लक्ष्य सरकार को एक दक्ष एवं जिम्मेदार वादी बनाना है। वि.व. 12 का बजट भाषण सूचित करता है कि उच्च राजस्व मामलों पर ध्यान केन्द्रित करने तथा वादों को कम करने हेतु वि.व. 11 में कदम उठाए गए थे। कर प्रभाव की सीमा को बढ़ाने हेतु निर्देश जारी किये गए हैं जिससे नीचे अपील के उच्चतर न्यायालयों में सरकार द्वारा वाद जारी नहीं रखे

⁴⁵ सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनर्सर्मायोजन प्रतीक्षित है।

जाएंगे। इन उपायों से राजस्व बढ़ाने में लगे संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है।

मंत्रालय ने 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17 के पैरा सं. 1.76 के अपने एटीएन में इसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की संख्या की सूचना दी थी जो उन मामलों की संख्या से काफी ज्यादा थी जहाँ वास्तव में अपील दायर की गई थीं। मंत्रालय ने मार्च 2013 में भी सूचित किया है कि अपीलों के निपटान को तेज करने के लिए कई उपाय किये गए हैं जिनमें एकल सदस्यीय बेंच की शक्तियों को बढ़ाने हेतु संशोधन, लम्बित अपीलों का जल्द निपटान प्राप्त करने हेतु आयुक्त (अपील) के कार्यभार का पुनर्वितरण, सेटलमेंट कमीशन द्वारा सेवा कर मामलों के निपटान की सुविधा का विस्तार इत्यादि शामिल हैं। यद्यपि, डाटा (वि.व. 11 से वि.व. 13) दर्शाता है कि अपीलों की विचाराधीनता अभी भी बढ़ रही है।

31 मार्च को 2 वर्षों से अधिक से लम्बित अपीलों का डाटा नीचे तालिका 1.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.19: 31 मार्च 2013 को अपील मामलों की विचाराधीनता

फोरम	विचाराधीनता की अवधि पर आधारित मामलों का विवरण				करोड़ ₹
	2-5 वर्ष		>5 वर्ष		
	सं.	राशि	सं.	राशि	
आ. (अपील)	2,708	622.67	192	314.88	
सेसटेट	5,727	32,733.77	1,039	2,481.25	
उच्च न्यायालय	1,013	1105.85	377	450.18	
सर्वोच्च न्यायालय	69	74.58	18	23.56	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।

कर का बकाया

1.29 विधि उत्थित परन्तु संपादित ना किये गए राजस्व की वसूली की विभिन्न पद्धतियाँ निर्धारित करती है। इनमें व्यक्ति जिससे राजस्व की वसूली की जानी है, को देय राशि, यदि कोई हो तो, के प्रति समायोजन, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की एवं बिक्री द्वारा वसूली तथा जिला राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली सम्मिलित है।


तालिका 1.20 राजस्व बकाया की वसूली के संबंध में विभाग के प्रदर्शन को दर्शाती है।

तालिका 1.20: राजस्व वसूली - सेवा कर

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रह	करोड़ ₹	
			वर्ष के प्रारंभ में बकाया के %	के रूप में संग्रह
वि.व.09	2,503.09	1,198.68	47.89	
वि.व.10	4,441.61	864.30	19.46	
वि.व.11	9,081.73	1,273.65	14.02	
वि.व.12	14,340.28	1,669.45	11.40	
वि.व.13	20,361.46	2,321.69	11.40	

स्रोत: मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ें।⁴⁶

मंत्रालय ने कर बकाया वसूली को तेज करने के लिये किए गए विभिन्न उपाय सूचित किये जैसे उच्च राशि मूल्य मामलों के मामलों में न्यायालय में सशक्त प्रयास, बीआईएफआर के समक्ष लम्बित मामलों की सक्रिय आगामी कार्यवाही इत्यादि, अनुकूल निर्णयों का तीव्र कार्यान्वयन, राजस्व के बकाया पर कम्प्यूट्रीकृत डाटाबेस का निर्माण एवं उसका नियमित अद्यतन तथा समीक्षा, विभिन्न संरचनाओं के राजस्व के बकाया का नियमित निरीक्षण और बकाया की वसूली के लिए अधिकारियों के समर्पित दल का गठन। इसके अलावा, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के राजस्व के बकाया की वसूली पर विवरण पुस्तिका संकलित की गई तथा बकाया की वसूली हेतु क्षेत्रीय संरचनाओं को प्राथमिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में प्रचारित की गई।⁴⁷



यद्यपि, चाईट 1.6 से हमने देखा कि बकाया की वसूली की समग्र गिरती प्रवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।

सेवा कर में मॉनीटरिंग तंत्र

1.30 हमने यह अध्याय मुख्यतः सीबीईसी के माध्यम से प्राप्त डाटा के आधार पर संकलित किया है। सीबीईसी ने विभिन्न निष्पादन मानदण्डों जैसे अगस्त 2013 में प्राथमिक एवं विस्तृत संवीक्षा, प्रतिदाय, बकाया वसूली, कॉल बुक मामलों के विचाराधीनता इत्यादि से संबंधित वि.व. 11, वि.व. 12 एवं वि.व. 13 की 3 वर्षीय अवधि के लिए डाटा उपलब्ध

⁴⁶ सीबीईसी के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2014 द्वारा; 2013 की एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के साथ पुनर्सर्मायोजन प्रतीक्षित है।

⁴⁷ सीएजी की 2013 की एआर 17 के पैरा सं. 1.51 पर एटीएन द्वारा।

कराया। यद्यपि, हमने देखा कि कुछ स्थानों पर, उपलब्ध कराया गया डाटा 2013 की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एआर सं. 17 के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ मिलान नहीं करता अतः विभाग द्वारा पुनर्समायोजन की आवश्यकता होगी।⁴⁸ सेवा कर में डाटा की गुणवत्ता तथा मॉनीटरिंग पहलुओं में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। सेवा कर महानिदेशालय मुंबई, निरीक्षण महानिदेशालय, सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (इंटेलीजेंस) महानिदेशालय, नई दिल्ली आदि जैसे प्राधिकरण लेखापरीक्षा द्वारा परस्पर उपयोग हेतु विश्वसनीय डाटा के प्रबंधन को सुनिश्चित करते हैं। सेवा कर में मासिक तकनीकी रिपोर्ट अनुबंधों के फार्मेट की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विस्तृत संवीक्षा करने जैसे महत्वपूर्ण मद छिपाये नहीं गये है, महत्वपूर्ण हैं। विभाग में कोई आवधिक विवरणी नहीं है जो मामलों की संख्या और प्रतिदायों के संबंध में अदा किये गये ब्याज की राशि की निगरानी रखती है, यह स्पष्ट नहीं है कि उपलब्ध कराये गये आंकड़े कितने सही और विश्वसनीय हैं। डाटा प्रबंधन निदेशालय द्वारा सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंध में किए जाने वाले डाटा विश्लेषण नियमित आधार पर सेवा कर के लिए किये जाने की आवश्यकता है।

सेवा कर राजस्व जिस गति से बढ़ रहे हैं (वि.व.14 हेतु सेवा कर के लिए आरई आंकड़ें वि.व.13 में ₹ 1,32,601 करोड़ के वास्तविक संग्रहण के प्रति ₹ 1,64,927 हैं) यह आवश्यक है कि सीबीईसी अपने अधीनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों की निष्पादन निगरानी करने के लिए विद्यमान प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करे।⁴⁹

लेखापरीक्षा रिपोर्टों का प्रभाव

1.31 हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के द्वारा, हम लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को हमारे पणधारकों के ध्यान में लाया गया है। हाल ही की लेखापरीक्षा रिपोर्टों (इस रिपोर्ट सहित) में दर्शाई गई लेखापरीक्षा आपत्तियों को तालिका 1.21 में श्रेणी-वार दर्शाया गया है।

तालिका 1.21: सेवा कर में अननुपालन पर आपत्तियां

वर्ष	सेनवेट	छूट	ब्याज	कुछ नहीं/कम	मूल्यांकन	करोड़ ₹	
						मिश्रित	कुल
वि.व.09	-	24.93	1.86	330.91	8.12	9.73	375.55
वि.व.10	18.63	8.77	1.59	128.29	0.16	4.92	162.18
वि.व.11	33.15	9.81	0.50	140.02	13.08	8.18	204.74
वि.व.12	178.80	-	2.68	318.20	-	0.55	500.23
वि.व.13	48.82	-	4.55	211.76	-	0.62	265.75

⁴⁸ इस अध्याय में तालिका 1.7, 1.9 (ख), 1.15(क), 1.16, 1.17 तथा 1.18 का संदर्भ लें।

⁴⁹ वि.व.13 के लिए आँकड़े अनंतिम खातों पर आधारित हैं; वि.व.14 के लिए आरई आँकड़े प्राप्ति बजट 2014-15, फरवरी 2004 से हैं।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

इस अवधि के दौरान, हमने ₹ 1508.45 करोड़ के कुल सेवा कर वाले 851 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की रिपोर्ट दी है। सरकार ने 1398.90 करोड़ के राजस्व वाले 815 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार की और ₹ 395.09 करोड़ की वसूली की गई। हमारे द्वारा विवरण तालिका 1.22 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.22: सेवा कर-हाल ही की अननुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दर्शाई गई आपत्तियां

करोड़ ₹

एआर का वर्ष	जोड़े गये पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ और/या की गई सुधारात्मक कार्रवाई						प्रभावित वसूलियां					
			प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल	प्रकाशन पूर्व		प्रकाशन के उपरान्त		कुल		
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व.09	155	375.55	130	305.13	8	4.92	138	310.05	90	127.49	1	0.24	91	127.73
वि.व.1	194	162.18	175	121.31	9	2.60	184	123.91	112	33.05	9	2.60	121	35.65
वि.व.1	199	204.74	184	185.69	11	17.79	195	203.48	122	78.76	9	2.24	131	81.00
वि.व.1	152	500.23	150*	498.65	1	0.52	151	499.17	88	84.58	4	0.85	92	85.43
वि.व.1	151	265.75	147*	262.29	-	-	147	262.29	95	65.28	-	-	95	65.28
कुल	851	1508.45	786	1373.07	29	25.83	815	1398.90	507	389.16	23	5.93	530	395.09

*अंतर्ग्रस्त राजस्व स्वीकृत किया गया जबकि विभागीय कमियों को स्वीकृत न करने वाले मामलों सहित।

वर्तमान रिपोर्ट में चर्चित आपत्तियों राजस्व निर्धारण और संग्रहण क्षेत्र पर विभाग के प्रदर्शन में आगे और सुधार की गुंजाईश को दर्शाती हैं।

इस रिपोर्ट में कुल राजस्व कार्रवाई के तहत कुल ₹ 265.75 करोड़ वाली 151 लेखापरीक्षा आपत्तियों हैं। फरवरी 2014 तक, मंत्रालय/विभाग ने ₹ 262.29 करोड़ के राजस्व वाली 147 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकृत किया था और ₹ 65.28 करोड़ की वसूली की सूचना दी गई थी। रिपोर्ट में विभागीय कमियों को दर्शाते हुए 20 आपत्तियां शामिल हैं।⁵⁰

लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही

1.32 सार्वजनिक लेखा समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोक सभा) में संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट को रखने की तिथि से चार महीनों की अवधि के अंदर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों के सभी पैराग्राफों पर की गई उपचारात्मक/सुधारात्मक टिप्पणियों के अपेक्षित प्रस्तुतीकरण की हमारे द्वारा विवीक्षा की गई।

अप्रत्यक्ष करों पर पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दिये गये सेवा कर से संबंधित पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा ने दर्शाया कि की गई उपचारात्मक कार्रवाई के प्रस्तुतीकरण में कोई विलंब नहीं है।

⁵⁰ अंतर्ग्रस्त राजस्व स्वीकृत किया गया जबकि विभागीय कमियों को स्वीकृत न किये गये मामलों सहित 147 मामले हैं।

अध्याय II

नियमों एवं विनियमों की अननुपालन

2.1 हमने सेवा कर के भुगतान के संबंध में निर्धारितियों द्वारा रखे गये अभिलेखों की जांच की और कर अदायगी की सटीकता और सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति का परीक्षण किया। हमने ₹ 237.17 करोड़ के राजस्व वाले सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग, सेवा कर आदि की कम अदायगी/अदायगी न करना आदि के मामलों पाये। हमने 131 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को इन आपत्तियों को भेजा। मंत्रालय/आयुक्तालय ने 127 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (फरवरी 2014) और ₹ 233.95 करोड़ राजस्व वाले इन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की पहल/कार्रवाई पूरी की। हमने अनुबंध II में इन पैराग्राफों के विवरण प्रस्तुत किये हैं। मंत्रालय ने तीन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विरोध किया और एक ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर अभी तक (फरवरी 2014) प्रतिक्रिया दी जानी शेष है।

2.2 सेवा कर का भुगतान न करना

2.2.1 पुरोबंध प्रभारों पर सेवा कर

वित्त अधिनियम, 1994 (संशोधित) की पूर्व धारा 65(12) के अनुसार, "बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं" में अन्य बातों के साथ-साथ उधार भी शामिल होता है। पत्र एफ सं. 345/6/2008-टी-आयू दिनांक 11-06-2008 द्वारा वित्त मंत्रालय ने ऋणों की अदायगी से पूर्व संग्रहित पूर्व-समापन/पुरोबंध प्रभारों को स्पष्ट किया, जो सेवा कर हेतु उदग्रह्य हैं।

पुणे । आयुक्तालय में मै. बजाज आटो फाईनैस लिमि. ने अप्रैल 2007 से मार्च 2011 के दौरान ₹ 12.38 करोड़ ऋणों के पुरोबंध प्रभारों के लिए वसूले ₹ 1.41 करोड़ पर सेवा कर राशि को अदा नहीं किया गया था जो ब्याज सहित वसूलीयोग्य थे। हमने पाया कि हालांकि अगस्त 2009 और सितम्बर 2010 में आयुक्तालय की लेखापरीक्षा पार्टी ने निर्धारित की लेखापरीक्षा की, यह सेवा कर के गैर-भुगतान का पता लगाने में विफल रही।

आयुक्तालय ने सूचित किया (फरवरी 2013) कि उन्होंने 2007-08 से 2011-12 की अवधि को कवर करते हुए ब्याज और जुर्माने के साथ ₹ 1.49 करोड़ के लिए कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी किया। हालांकि, मंत्रालय ने इस आधार पर लेखापरीक्षा आपत्ति का विरोध किया (नवम्बर 2013) कि पुरोबंध प्रभारों को ब्याज की हानि के रूप में लिया जाना चाहिए। चूंकि ब्याज को सेवा कर के उदग्रहण से बाहर रखा गया है, यह वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुरूप सेवा की राशि में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कहा

सेसटैट नई दिल्ली ने सिडबी बनाम सीसीई चंडीगढ़ (जनवरी 2011) के मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया है।

हमने पाया कि टीआरयू के उक्त उल्लिखित स्पष्टीकरण पत्र के बारे में मंत्रालय का उत्तर कुछ नहीं दर्शाता जिसके द्वारा ऋणों के पूर्व भुगतान के लिए संग्रहित पुरोबंध प्रभार सेवा कर के लिए उद्ग्राह्य है। इसके अतिरिक्त, हुडको बनाम सेवा कर आयुक्त अहमदाबाद मामले में सेसटैट, अहमदाबाद (नवम्बर 2011) ने माना कि सेवा कर उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये गये पुनः निर्धारित और पूर्व-भुगतान प्रभारों पर उद्ग्राह्य है।⁵¹

सिफारिश: सीबीईसी इस विषय पर विभिन्न सेसटैट निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में टीआरयू के पत्र एफ.सं.345/6/2008-टीआरयू दिनांक 11 जून 2008 की व्यवहार्यता से संबंधित एक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

2.2.2 सेवाओं के आयात के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (55बी) बौद्धिक संपत्ति कर को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार का अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना या उपयोग को स्वीकार करना।⁵² इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(55ए) के अंतर्गत बौद्धिक संपत्ति अधिकार का अर्थ है अमूर्त संपत्ति अर्थात्- ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट या उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत वैसी ही अमूर्त संपत्ति परंतु जो कॉपीराइट में शामिल नहीं होती, के किसी अधिकार से है।⁵³ बौद्धिक संपत्ति सेवा सितंबर 2004 से कर योग्य है। सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 2 (i)(डी), अन्य विषयों के साथ-साथ यह दर्शाता है कि भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसे यहां न रहने वाले व्यक्ति या जिसका भारत में कार्यालय नहीं है, द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी है।

मै. मार्क एगजॉस्ट सिस्टमस लिमि. गुडगांव ने तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए फुटाबा इंडस्ट्रीयल कॉ लिमि. जापान और सनकाई जीकेन कैगयो कॉ लिमि. जापान के साथ करार किया। करार के अनुसार, सेवा प्राप्त कर्ता प्रत्येक वर्ष छः माही आधार पर मार्च और सितम्बर में फुटाबा इंडस्ट्रीयल कॉ लिमि. जापान और सनकाई जीकेन कैगयो कॉ लिमि. जापान से बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग हेतु और तकनीकी सहायता हेतु औसत निवल बिक्री मूल्य का 3 प्रतिशत अदा करने के लिए उत्तरदायी था। रिकॉर्डों की नमूना जांच ने वर्ष 2010-11 से संबंधित फुटाबा इंडस्ट्रीयल कॉ लिमि. और सनकाई जीकेन कैगयो कॉ लिमि. को ₹428.47 लाख के रायल्टी भुगतान को दर्शाया। चूंकि भारत में यह सेवा कर हेतु

⁵¹ 2011-आईएसटी-671 सेसटैट-अहमदाबाद।

⁵² 1 जुलाई 2012 से पहले लागू।

⁵³ 1 जुलाई 2012 से पहले लागू।

आदेय थी, निर्धारिती को प्रतिलोम प्रभार पद्धति के अंतर्गत ₹ 44.13 लाख का कर अदा करना अपेक्षित था। हालांकि, निर्धारिती ने ऐसा नहीं किया।

जब हमने सेवा कर और ब्याज का भुगतान न करने को इंगित किया (दिसम्बर 2011), आयुक्तालय ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि निर्धारिती ने वर्ष 2010-11 हेतु ₹ 518.37 लाख की अदा की गई वास्तविक रायल्टी राशि के प्रति ₹ 22.26 लाख की आर एण्ड डी उपकर सहित ₹ 53.38 लाख का सेवा कर जमा किया था। ब्याज की वसूली अभी भी लंबित थी (जून 2013)।

हालांकि, मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2014) में लेखापरीक्षा आपत्ति का यह कहते हुए विरोध किया कि सेवाएं 2010-11 में उपलब्ध कराई गई थीं, सेवा कर केवल भुगतान आधार पर लागू था। चूंकि 2010-11 के दौरान प्राप्त की गई सेवाओं के लिए भुगतान 20 जून 2011 और 29 दिसम्बर 2011 पर सेवा प्रदाताओं को किया गया था जिसके प्रति क्रमशः 15 जून 2011 और 23 दिसम्बर 2011 को निर्धारिती द्वारा सेवा कर जमा कर दिया गया था, कर के भुगतान में कोई विलंब नहीं था।

दिनांक 10 मई 2008 (सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के परंतुक (3) के नीचे दी गई व्याख्या) की अधिसूचना सं.19/2008 (एसटी) के अनुसार मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है जिसके अनुसार जहां कर योग्य सेवा कर का आदान-प्रदान किसी संबंधित उद्यम के साथ है, कर योग्य सेवा के मूल्य के प्रति प्राप्त कोई भुगतान सेवा कर भुगतान हेतु किसी उत्तरदायी व्यक्ति के बही खाते में क्रेडिट या डेबिट की गई किसी राशि में शामिल होगा। आय कर अधिनियम 1961 की धारा 92ए(1) के क्लॉज (जी) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पहले लागू) की धारा 65(7बी) के अनुसार, निर्धारिती और सेवा प्रदाता के बीच सहयोगी उद्यम का संबंध था। निर्धारिती और जापानीज कंपनियों के बीच तकनीकी सहयोग समझौता हुआ जो यह स्पष्ट दर्शाता है कि निर्धारिती उनके विशेष बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग पर पूर्णतः निर्भर था। अतः निर्धारिती प्राप्त सेवा के संबंध में प्रोदभवन आधार पर सेवा कर अदा करने के लिए उत्तरदायी था।

2.3 सेवा कर का कम भुगतान

2.3.1 सेवा कर का अनियमित स्वयं प्रेरित समायोजन

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(4ए) और 6(4बी) यह दर्शाता है कि जहां कोई निर्धारिती किसी महीने के लिए सेवा कर देयता के प्रति अदा की जाने वाली राशि की अधिकता में कोई राशि प्रदान की गई है, अग्रलिखित परिस्थितियों जैसे (i) अदा की गई अधिक राशि कानून की व्याख्या, कर देयता, वर्गीकरण, मूल्यांकन या किसी छूट अधिसूचना को लागू करने के कारणों से नहीं है, (ii) केंद्रीयकृत पंजीकरण वाले किसी निर्धारिती द्वारा

अदा किया गया अधिक भुगतान, कर योग्य सेवाओं के प्रति भुगतानों के विवरणों की विलंबित प्राप्ति के संबंध में वित्तीय सीमा के बिना समायोजित किया जा सकता, (iii) अन्य मामलों में, अदा की गई अधिक राशि प्रासंगिक महीने के लिए एक लाख रुपये की वित्तीय सीमा के साथ समायोजित की जा सकती थी और, (iv) ऐसे समायोजन हेतु विवरण और कारण ऐसे समायोजन की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंदर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को भेजे जाएंगे।⁵⁴ इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 83 के अनुसार, सेवा कर और ब्याज, यदि कोई है तो, के प्रतिदाय का दावा करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे अदा किये गये सेवा कर पर प्रासंगिक तिथि से एक वर्ष की समाप्ति से पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त या उप-आयुक्त को ऐसे शुल्क और ब्याज के प्रतिदाय हेतु एक आवेदन कर सकता है।

स्टॉक ब्रोकिंग सेवा श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत सेवा प्रदाता मै. आईसीआईसीआई सिक्क्यूरोटिज़ लिमि. ने एसटी । मुंबई आयुक्तालय में अप्रैल 2009 से सितम्बर 2009 की अवधि हेतु 26 अक्टूबर 2009 पर एसटी-3 विवरणी दायर की और इस अवधि के दौरान कर योग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति ₹ 35.11 करोड़ घोषित किया। निर्धारिती ने ₹ 3.62 करोड़ के सेवा कर देयता के प्रति ₹ 3.56 करोड़ अदा किये। निर्धारिती द्वारा उपलब्ध कराये गये समाधान-विवरण की संवीक्षा पर, हमने पाया कि प्राप्त की गई सेवाओं की निवल प्राप्ति ₹ 37.83 करोड़ थी परंतु निर्धारिती ने ₹ 2.72 करोड़ के मूल्य की कर योग्य सेवाओं की कटौती को ध्यान में रखते हुए एसटी-3 विवरणी में ₹ 35.11 करोड़ घोषित किये थे। अंतरीय राशि विभिन्न ग्राहकों को वापस की गई थी और जनवरी, फरवरी और मार्च 2009 के महीनों से संबद्ध लेने-देनों से संबंधित थी; प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक लाभ के रूप में लिया गया था जबकि बोक्रेज़ की दरें पूर्व व्यापी प्रभाव के साथ कम कर दी गई थी। इसलिए, निर्धारिती ने पूर्ववत ₹ 33.64 लाख सेवा कर को समायोजित किया। हमने पाया कि समायोजन उन सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित थी जो कि पूर्ण रूप से प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, हालांकि, निर्धारिती केंद्रीय रूप से पंजीकृत था, समायोजन करयोग्य सेवाओं के प्रति भुगतानों के विवरणों की विलंबित प्राप्ति के संबंध में नहीं था। इसके अतिरिक्त, समायोजित राशि एक लाख रुपये से भी अधिक थी। उपरोक्त के मद्देनजर, निर्धारिती द्वारा किया गया पूर्ववत समायोजन नियम 6(4ए) और (4बी) के अंतर्गत संभव नहीं था। निर्धारिती को उक्त राशि के प्रतिदाय हेतु आवेदन करना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.64 लाख के सेवा कर का कम भुगतान किया गया जो ब्याज और जुर्माने सहित वसूली योग्य था।

⁵⁴ सीईआरए द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान लागू नियम।

जब हमने इसे इंगित किया (मार्च 2008), आयुक्तालय ने सूचित किया (मार्च 2013) कि ₹ 33.64 लाख की मांग ब्याज लागू दर के अनुसार एवं जुर्माने के ₹ 33.69 लाख सहित निर्धारिती के प्रति निर्णीत की गई थी।

हालांकि, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति का यह कहते हुए विरोध किया (फरवरी 2014) कि सेवा कर का समायोजन प्राप्त ब्रोकेज के प्रतिदाय के संबंध में था और सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(3) के अनुसार किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हालांकि निर्धारिती ने अपेक्षित रूप से एसटी-3 विवरणी में समायोजन नहीं दर्शाया, यह केवल प्रक्रियात्मक कमी थी जिसमें कोई हानि शामिल नहीं थी।

हालांकि, हमने पाया कि सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(3) हेतु पूर्वापेक्षा को लागू करने हेतु अर्थात् किसी कारणवश पूर्णतः या आंशिक रूप से, उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का गैर-प्रावधान, इस मामले में संतुष्टि नहीं हुई। यहां ग्राहकों को पूर्ण सेवा उपलब्ध कराई गई थी। बाद में, पूर्ववर्ती प्रभाव के साथ ब्रोकेज की दरों में कटौती द्वारा एक प्रोत्साहन योजना के लाभ ग्राहकों को प्रदान किये गये थे। इसी प्रकार, अधिक कर राशि अदा करने का दावा केवल मूल्यांकन वाले कारणों से था। 'मूल्यांकन' को नियम 6(4ए) के अंतर्गत कर समायोजन करने हेतु किसी गैर-अनुमत कारणों में नियम 6(4बी) में विशेषतः दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, समायोजित राशि अनुज्ञेय अधिक राशि अर्थात् प्रासंगिक महीने हेतु ₹ एक लाख से अधिक थी। निर्धारिती ने समायोजन की तिथि से 15 दिनों के अंदर विभाग का सूचित करने में नियम 6(4बी) के अंतर्गत आवश्यकता का भी अनुपालन नहीं किया था। इस प्रकार, निर्धारिती नियम 6(4बी) के साथ पठित 6 (4ए) या नियम 6(3) के लाभ को प्राप्त नहीं कर सकता था।

इसके अतिरिक्त, हमने पाया कि लेखापरीक्षा आपत्ति और मंत्रालय का उत्तर, जो आयुक्तालय के उत्तर के विपरीत था और मूल आदेश भी उस समय के वर्तमान नियमों अर्थात् उन्होंने कर योग्य सेवा के मूल्य निर्धारण हेतु संगत तिथि के पहलू को कवर नहीं किया, में एक कमी को भी उजागर करता है और कि क्या कर योग्य सेवाओं का मूल्य राजस्व का हानिकारक रूप में अतीतलक्षी ढंग से कम करा जा सकता था। इसे कराधान का बिन्दु नियमावली, 2011 में स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है।

2.4 सेनवेट क्रेडिट की प्राप्ति/उपयोग

2.4.1 इनपुट सेवा पर कर भुगतान हेतु सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट को आऊटपुट सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता है।⁵⁵ हालांकि, 19 अप्रैल 2006 से लागू "आऊटपुट सेवा" की परिभाषा के नीचे

⁵⁵ सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4)(ई) के अनुसार।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

“व्याख्या” हटा देने के कारण, किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई केवल कर योग्य सेवाएं आऊटपुट सेवा के रूप में मानी जाएगी।⁵⁶ सीबीईसी परिपत्र सं. 97/8/2007 दिनांक 23 अगस्त 2007 ने स्पष्ट किया कि माल ट्रांसपोर्ट एजेंट द्वारा प्रदान की गई सेवा जिसके लिए प्रेषक और प्रेषिती सेवा कर अदा करने के जिम्मेदार होते हैं, वे ऐसे प्रेषक या प्रेषिती के लिए ‘आऊटपुट सेवा’ नहीं बनते और ऐसे सेवा कर का भुगतान ऐसे प्रेषक या प्रेषिती द्वारा संग्रहित क्रेडिट द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, जीटीए सेवाएं 1 मार्च 2008 से लागू आऊटपुट सेवाओं के दायरे से विशेषतः बाहर रखी गई हैं।⁵⁷

पटना आयुक्तालय में मै. निओ कार्बस प्रा. लिमि., बरौनी ने उनके द्वारा ली गई जीटीए सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान हेतु अप्रैल 2006 से मार्च 2009 के दौरान ₹ 12.11 लाख सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया। चूँकि ये सेवाएं इनपुट सेवाएं थीं; इन इनपुट सेवाओं के लिए ₹ 12.11 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग अनियमित था, जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इंगित किया (जुलाई 2009), आयुक्तालय ने कहा (नवम्बर 2012) कि उन्होंने फरवरी 2007 से मार्च 2009 की अवधि को कवर करते हुए ₹ 10.99 लाख हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2012 के मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयुक्तालय ने कारण बताओ नोटिस में अप्रैल 2006 से जनवरी 2007 की अवधि को कवर न करने के कारणों को नहीं बताया।

हम मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा (फरवरी 2014) कर रहे हैं।

⁵⁶ वित्त अधिनियम, 2006 और अधिसूचना सं.8/2006/सीई दिनांक 19 अप्रैल 2006 द्वारा।

⁵⁷ 1.3.2008 से लागू सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम 2008 द्वारा।

अध्याय III

आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

3.1 आंतरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो एक इकाई के प्रबंधन और कर्मियों से प्रभावित होती है और जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती है और इकाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में यथोचित आश्वासन प्रदान करती है, अग्रलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं:

- सुव्यवस्थित, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी प्रचालन कार्यान्वित करना;
- जवाबदेही दायित्वों को पूरा करना;
- लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और नुकसान के प्रति संसाधनों की सुरक्षा⁵⁸

3.2 रिकार्डों की जांच के दौरान, हमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा और निर्धारित मैनुअल में कमियां देखी जो यह दर्शाते हैं कि विभाग को पद्धतियों और प्रक्रियाओं की सटीकता पर ध्यान देना चाहिए।⁵⁹ हमने 20 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को ये आपत्तियां प्रेषित की, जिसमें ₹28.58 करोड़ का राजस्व था। मंत्रालय ने सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को अंतर्ग्रहित राजस्व तक स्वीकार कर लिया। हमने निम्नलिखित पैराग्राफ में विभाग द्वारा अनुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की विस्तृत चर्चा की है:

निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा

3.3 विवरणियों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा और प्रति अपवंचन विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन पद्धति के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन सत्यापन निर्धारित नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर प्राप्त करने के लिए निर्धारितियों के जोखिम मानदंड और रिकार्डों की संवीक्षा पर आधारित निर्धारित इकाई के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाकर निर्धारित परिसरों में लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा निर्धारितियों के परिसरों में रिकार्डों तक पहुँचने के लिए सेवा कर नियमावली, 1994 के अंतर्गत सशक्त है। प्रत्येक आयुक्तालय के अपने आंतरिक अनुभाग में एक लेखापरीक्षा सेल है जिसमें सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षक हैं और अपर/संयुक्त आयुक्त इसके प्रधान होते हैं। लेखापरीक्षा सेल की जाने वाली लेखा परीक्षाओं की योजना, निगरानी और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा दलों में शामिल पर्यवेक्षक और जांच

⁵⁸ इंटोसाई जीओवी 9100- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों हेतु दिशा निर्देश।

⁵⁹ सेवाकर लेखापरीक्षा मैनुअल, 2011।

कर्ताओं द्वारा लेखापरीक्षा योजना और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 में बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा की जाती है।

3.4 हम निम्नलिखित दो श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत निर्धारितियों के नमूने की लेखापरीक्षा द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा अपने अधीन रखने लेखापरीक्षा गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारितियों की कवरेज की सटीकता की जांच करने का प्रयास करते हैं जैसे क) लेखापरीक्षा के अधीन परंतु सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर विभागीय लेखापरीक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया और ख) विभागीय लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित। हमने निहितार्थ सेवा कर से जुड़े ₹ 26.02 करोड़ के मामले पाये जिनकी अग्रलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन आपत्तियों को 17 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है, मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को अंतर्ग्रहित राजस्व तक स्वीकार कर लिया है।

3.5 आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही कवर किये गये चयनित निर्धारिती परिसरों में रिकॉर्डों की सीईआरए की जांच प्रक्रिया के दौरान, हमने कुछ ऐसे मामले देखे जहां आयुक्तालय के लेखापरीक्षा दलों ने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाने में चूक की है।

3.5.1 सेवाओं के कर योग्य मूल्य की गलत गणना का पता न लगाना

सेवा कर (मूल्यों का निर्धारण) नियमावली, 2006 का नियम 5(1) यह दर्शाता है कि जहां कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा व्यय किया गया कोई खर्च या लागत है, ऐसे सभी व्यय और लागत प्रदान की गई कर योग्य सेवा हेतु ध्यान में रखे जाएंगे और उक्त सेवा पर सेवा कर प्रभार के उद्देश्य हेतु मूल्य में शामिल की जाएगी।

मै. लिन्फोक्स लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्राई. लिमि. एक निर्धारिती, लुधियाना आयुक्तालय में सेवा प्रदाता के रूप में केंद्रीय रूप से पंजीकृत था जो "निपटान और अग्रेषण एजेंसी सेवा" की श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में शामिल था। ऐसी सेवाओं के संबंध में मै. हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमि. से प्राप्त राशि पर सेवा कर अदा करते हुए, निर्धारिती ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए बिजली, डीजल जेनसेट, मोबाईल प्रभार, आइटी यंत्र व्यय, लोड प्रभार और मल्टी-ड्रॉप प्रभार आदि जैसे खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़ दिया। कुल राशि में इन प्रभारों के न जोड़े जाने के फलस्वरूप अगस्त 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि हेतु ₹ 17.64 लाख राशि के सेवा कर की कम अदायगी हुई।

जब हमने इसे इंगित किया (जून 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2014) को स्वीकार किया और सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 2.82 लाख ब्याज के साथ ₹ 17.64 लाख जमा किये थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सूचित किया कि सीईआरए द्वारा

की गई कवरेज 2010-11 के दौरान की थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि को कवर किया था। इससे विभिन्न परिणाम/निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। निर्धारिती की ओर से गलती अगस्त 2009 से शुरू हुई थी, नवम्बर 2010 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान इस गलती का पता लगा लिया जाना चाहिए था।

3.5.2 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत कम भुगतान का पता न लगाना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 2(1)(डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व लागू) की धारा 66ए उल्लेख करती है कि जहां सेवा भारत में अपना कार्यालय रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उस सेवा प्रदाता से प्राप्त की जाती है जिसका कार्यालय भारत में नहीं है, तो सेवा कर ऐसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा। अधिसूचना सं. 19/2008-एसटी दिनांक 10 मई 2008 दर्शाती है कि किसी संबद्ध उद्यम के साथ कर योग्य सेवा के लेन-देन के मामले में, कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में प्राप्त कोई भुगतान किसी खाते में क्रेडिट या डेबिट, जैसा भी मामला हो, कोई राशि शामिल होगी, चाहे सेवा कर भुगतान के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के बही खातों में इसे 'उचंत खाता' या अन्य किसी नाम से दिया जाये। इसके अतिरिक्त, सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुयूल, 2003 के अध्याय 8 (अनुबंध ई का पैराग्राफ 11) यह दर्शाता है कि प्रतिलोम प्रभार तंत्र के मामले में, लेखापरीक्षा दल को यह सुनिश्चित करना था कि निर्धारिती द्वारा तकनीकी सहायता या कंसलटेंसी या करयोग्य घटना के किसी भाग जैसे कारकों का कोई अग्राह्य अपवर्जन नहीं किया गया।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तलय में, इलैक्ट्रिक मीटर निर्माण से संबंधित में, लैंडिस+जीवाईआर "बौद्धिक संपत्ति सेवा" की सेवा कर श्रेणी के अंतर्गत कवर की जाने वाली राशि तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्विटजरलैंड में अपनी स्वामित्व कंपनी के साथ एक करार किया। निर्धारिती ने अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2009 तक ₹ 1055.23 लाख की रायल्टी अदा की। निर्धारिती ₹ 122.87 लाख का सेवा कर अदा करना था जिसमें से केवल ₹ 21.44 लाख अदा किये गये। इसलिए, ₹ 101.43 लाख राशि निर्धारिती से ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसे (अगस्त 2010) इंगित किया, आयुक्तलय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारिती को जारी किया गया अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए ₹ 130.28 लाख का कारण बताओ नोटिस ब्याज और जुर्माने की समान राशि के साथ अधिनिर्णय में पुष्टि की गई।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने मार्च 2010 में इकाई की लेखापरीक्षा की। हालांकि, यह सेवा कर के कम भुगतान को ढूँढने में विफल रही।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा मार्च 2010 में की गई थी, न कि सेवा कर आयुक्तालय, कोलकाता द्वारा। इसके अतिरिक्त, सेवा कर आयुक्तालय, कोलकाता में निर्धारितियों की कुल संख्या काफी अधिक है और आंतरिक लेखापरीक्षा में नियुक्त अधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों को निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार सभी प्रयास करने और लेखापरीक्षा करने के लिए सचेत किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर विभाग के श्रमबल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की पुष्टि करता है। यहां तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल प्रावधानों में अपेक्षित है कि यदि अन्य आयुक्तालयों के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो लेखापरीक्षा समूह अपने आयुक्त द्वारा संबंधित आयुक्तालय को सूचना भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।⁶⁰ इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल को निर्धारिती परिसर में लेखापरीक्षा के दौरान भी सेवा कर संबंधित पहलुओं को कवर करना चाहिए।

3.5.3 कर योग्य सेवाओं के मूल्य में संघटन अग्रिम न जोड़ने को पतान लगा पाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(3), यथा संशोधित दर्शाती है कि कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पूर्व, दौरान या बाद कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त की गई कोई भी राशि शामिल होगी। सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल के प्रावधानों से संबंधित डेस्क समीक्षा उल्लिखित करती है कि लेखापरीक्षक ही इस जांच के लिए उत्तरदायी है कि क्या निर्धारिती ने अग्रिम के रूप में सेवा प्रभार प्राप्त किये और सेवाएं उपलब्ध करवाई परंतु बिल बाद की तिथि में जारी किया ताकि वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके तथा सेवा कर के भुगतान में देरी की जा सके।

कालीकट आयुक्तालय में वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा उपलब्ध कराने वाले एक निर्धारिती मै. टेक्नोस्किल ऐल्यूमिनीयम सेंटर ने नारसेन और टर्बा, चेन्नै के लिए लागू एक कार्य के संविदा मूल्य के 20 प्रतिशत के रूप में अप्रैल 2009 में ₹ 1.79 करोड़ का संघटन अग्रिम प्राप्त किया। बाद के स्तर भुगतान यथापुनपात आधार पर संघटन अग्रिम को समायोजित करने के बाद निर्धारिती को किये गये और अप्रैल 2010 तक अग्रिम पूरी तरह समायोजित कर दिया गया। निर्धारिती ने स्तर भुगतान से यथानुपात आधार पर समायोजित अग्रिम भाग पर सेवा कर अदा नहीं किया जबकि वह बिल राशि से संघटन अग्रिम

⁶⁰ केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल, 2008, पैराग्राफ 12.2.2।

समायोजित करवाने के बाद प्राप्त राशि के लिए यथानुपात कर अदा कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप गैर भुगतान सेवा कर राशि ₹ 18.45 लाख हो गई। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती (दिसम्बर 2010) की लेखापरीक्षा की गई, यह पता लगाने में विफल रही कि सेवा कर स्तर भुगतान से यथानुपात आधार पर समायोजित अग्रिम भाग के लिए सेवा कर अदा नहीं किया गया था।

जब हमने इसे इंगित किया (जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2014) स्वीकार की और कहा कि निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि उक्त इकाई की लेखापरीक्षा करने वाले संबंधित अधिकारियों को चूक के कारणों की व्याख्या करने के निर्देश दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षा के दौरान गलतियां उजागर करने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये गये ताकि ऐसी कमियों को इंगित करने के लिए अन्य एजेंसियों को अवसर न मिले।

3.5.4 सेवा कर के कम भुगतान का पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67(2) यथा संशोधित के अनुसार, जहां एक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में देय सेवा कर शामिल होती है, देय कर की राशि के साथ ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य प्रभारित सकल राशि के समान है। सीबीईसी ने दिनांक 23 अगस्त 2007 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया कि कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहे केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी प्रदाता सेवा कर अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं जब तक कि ऐसे प्राधिकारियों की सेवाएं किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक या वैधानिक नहीं हैं। महानिदेशक निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने जनवरी 2009 में स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग से मांग पर ठेकेदार द्वारा सेवा कर अदा किया जाना है; प्रभारी इंजीनियर संतुष्ट होने के बाद कि इसे ठेकेदार द्वारा वास्तविक रूप से और उचित ढंग से अदा किया गया है, प्रतिपूर्ति करेगा।⁶¹

कालीकट आयुक्तालय में एक सेवा कर निर्धारिती में टेक्नोस्किल एलुमिनियम सेंटर वाणिज्यिक निर्माण सेवाएं और कार्य ठेका सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती ने सीपीडब्ल्यू से प्राप्त किए ₹ 555.43 लाख पर ₹ 18.21 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। यह भुगतान सीपीडब्ल्यूडी के निक्षेप कार्य अर्थात् बेंगलूर में स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. (एसटीसीएल लि.) और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसटीसीआईएल) के नवनिर्मित भवनों में स्पाइडर ग्लेजिंग फेकेड और ग्लास पार्टिशन उपलब्ध कराने और लगाने के लिए प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने वाणिज्यिक निर्माण सेवाएं

⁶¹ ओएम एम सं. डीजीडब्ल्यू/कॉन/241 दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

आवागमन के लिए सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में माल परिवहन एजेंसी के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किया। तत्पश्चात निर्धारिती ने इस प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट लिया और आऊटपुट सेवाओं के लिए अपनी सेवा कर देयता के निर्वहन हेतु इसका उपयोग किया जोकि उपरोक्त दर्शाए गए सांविधिक प्रावधानों और कानून के मामलों का उल्लंघन है। इसलिए, अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान लिया गया ₹ 223.88 लाख (उपकर सहित) का अनियमित क्रेडिट लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2010), तो आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2011)। इसके बाद आयुक्तालय ने सूचना दी (अगस्त 2012) कि इसने अप्रैल 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए लागू ब्याज और शास्ति सहित ₹ 265.97 लाख (उपकर सहित) के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था।

यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2009 में निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की थी तथापि इसने सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति के बारे में नहीं बताया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 तक समान चूक जारी रही।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते समय कहा (फरवरी 2014) कि इकाई की अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की आंतरिक लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों द्वारा नवम्बर 2009 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा के साथ सेवा कर लेखापरीक्षा भी की गई थी। भविष्य में इस प्रकार की विफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आयुक्तालय की प्राधिकृत शाखाओं में प्रचारित किया गया है और अन्यो को भी उचित रूप से संवेदी बनाया गया है।

3.5.7 प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर के गैर भुगतान का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए (1.7.2012 से पहले लागू) बताती है कि सेवा कर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भारत में (और भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई) प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी था। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6(1) की निम्नलिखित व्याख्या बताती है कि जहां संव्यवहार सहयोगी उद्यमों के साथ होता है ऐसे मामले में, करयोग्य सेवा के मूल्य के प्रति प्राप्त किसी भुगतान में किसी खाता में चाहे सेवा कर भुगतान के दायी व्यक्ति की खाता बही में उसे 'उंचत खाता' या किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए में क्रेडिट की गई या डेबिट की गई राशि शामिल होगी।⁶³

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में इंजीनियर परामर्श सेवा, प्रबंधन परामर्शदाता सेवा, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और ट्रेडमार्क सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले मै. फ्लेक्ट (इंडिया)

⁶³ अधिसूचना संख्या 19/2008-एसटी दिनांक 10 मई 2008 के माध्यम से जोड़ा गया।

लिमिटेड ने भारत के बाहर स्थित अपने सहयोगी उद्यमों से उक्त सेवाएं प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे बताया कि निर्धारिती ने 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिए अपने सहयोगी उद्यमों से प्राप्त सेवाओं के प्रति अपने लेखों में 'अन्य व्यय' शीर्ष के तहत ट्रेड मार्क फीस के रूप में ₹ 97.43 लाख, बौद्धिक सम्पदा फीस के रूप में ₹ 137.42 लाख और प्रबंधन फीस के रूप में ₹ 193.19 लाख निर्धारित किए थे। अतः निर्धारिती ने उपरोक्त दर्शाए गए सांविधिक प्रावधानों के संबंध में सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में अपने लेखों में इस प्रकार निर्धारित राशि पर सेवा कर देना चाहिए। इसमें विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 44.08 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जोकि लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (फरवरी 2011), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2012)। आयुक्तालय ने सूचना दी (मई 2012) कि ₹ 204.44 लाख 2007-08 से 2010-11 के अवधि के लिए ब्याज सहित सेवा कर (उपकर सहित) के आधार पर वसूल किए गए थे।

यद्यपि, एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने जनवरी 2010 में लेखापरीक्षा की थी तथापि गलती का पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक अप्रैल 2011 तक जारी रही।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते समय (फरवरी 2014) आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में कहा कि, यद्यपि ग्रुप में अधिक कार्य दबाव और श्रमबल की कमी के कारण इकाई को 2011-12 में लेखापरीक्षा सेवा कर आयुक्तालय के ग्रुप IV को आंबटित किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा निर्धारित समय पर पूरी नहीं की जा सकी थी। इकाई की लेखापरीक्षा शीघ्र ही सेवा कर लेखापरीक्षा दल द्वारा की जाएगी।

हमने पाया कि मंत्रालय का जवाब जनवरी 2010 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में मौन था।

3.5.8 केबल आपरेटर सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर के कम भुगतान का पता न चलना

1.7.2012 से पहले लागू वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडएस) के अनुसार "करयोग्य सेवा" का तात्पर्य केबल सेवाओं के संबंध में बहु-प्रणाली आपरेटर सहित केबल आपरेटर द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा से है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 67 बताती है कि सेवा कर प्रभार के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्य, केबल आपरेटर द्वारा करयोग्य सेवाओं के लिए प्रभारित सकल राशि होगा और इसमें ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के प्रति प्राप्त की गई कोई राशि भी शामिल होगी।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के उप नियम 4ए के अन्तर्गत जहां किसी निर्धारिती ने सेवा कर का अधिक भुगतान किया है, वहां वह अपनी अनुवर्ती देयता के प्रति अधिक भुगतान को समायोजित कर सकता है। तथापि, ऐसे समायोजन की अनुमति उपनियम 4बी की शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में केबल आपरेटर सेवा प्रदान करने वाले मै. इंडियन केबल नेट कम्पनी लिमिटेड ने करयोग्य सेवा के मूल्य, जिसपर सेवा कर को पहले ही सरकार के खाते में जमा किया जा चुका था, से 2009-10 के दौरान निर्धारित निबंधनों को पूरा किए बिना ₹ 433.83 लाख का स्व-समायोजन किया था। ऐसे अनियमित समायोजन के कारण कर योग्य सेवा का कम निर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 44.68 (उपकर सहित) के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो कि लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (अक्टूबर 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि मांग ब्याज और जुर्माने सहित अधिनिर्णय में पुष्टि की जा चुकी है। मंत्रालय ने आगे बताया कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सभी तीन मंडलों और लेखापरीक्षा शाखा आदि में परिपत्रित किया जा चुका था और अधिकारियों को उपयुक्त रूप से संवेदी बनाया गया था।

3.6 सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल के प्रावधानों की अपर्याप्तता

26 मई 2003 को मुख्य आयुक्तों को परिपत्रित सेवा कर महानिदेशक की कार्ययोजना के अनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए पीएसयूज और निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उनके पते सहित ऐसे सेवा प्रदाओं के ब्यौरे प्राप्त करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रेंज अधिकारी को पीएसयूज सहित प्रमुख निर्धारितियों से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और कर आधार को विस्तृत करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने थे। तथापि, सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में ऐसा कोई अनुरूपी प्रावधान नहीं था जिससे सेवा कर लेखापरीक्षा पार्टियों के लिए ऐसे ब्यौरों को एकत्र करना (निर्धारिती के परिसर में लेखापरीक्षा के दौरान) और उसे संबंधित आयुक्तालय/मंडल/रेंज के आंतरिक लेखापरीक्षा सेल को प्रेषित करना बाध्यकारी बना दिया। निर्धारिती के परिसर में अभिलेखों को जांच के दौरान निम्नलिखित दो मामलों ने इस कमी को उजागर किया।

3.6.1 पटना आयुक्तालय में मै. पावरग्रिड कापरिशन आफ इंडिया लि. की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने पटना आयुक्तालय के अन्तर्गत सेवा कर में पंजीकृत छः सेवा प्रदाताओं से बिहार में विभिन्न विद्युत सब स्टेशनों पर चारदीवारी के निर्माण, स्टाफ क्वार्टर के निर्माण, कार्यक्षेत्र को समतल करना और स्लोप सुरक्षा कार्य से संबंधित सेवाएं

प्राप्त की और 2005-06 से 2010-11 (नवम्बर 2010 तक) की अवधि के दौरान ₹ 794.53 लाख का भुगतान किया। ये सेवाएं कार्यक्षेत्र निर्माण सेवा, आवासीय कॉम्प्लैक्स के निर्माण या कार्य ठेका सेवा की श्रेणी के अंतर्गत करयोग्य थी। सत्यापन पर हमने पाया कि छः सेवा प्रदाताओं ने कर योग्य मूल्य पर ₹ 43.18 लाख के बराबर सेवा कर और शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं किया था क्योंकि कोई विवरणी नहीं या 'शून्य' विवरणी को अवधि के दौरान इन सेवा प्रदाताओं द्वारा दर्ज पाया गया था।

हमने पाया कि यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा ने जून 2010 में लेखापरीक्षा की थी तथापि इसने इन छः सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं की देयता/प्रावधान को पूरा न करने के ब्यौरों को संबंधित आयुक्तालय/मंडल/रेंज के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को नहीं भेजा था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (दिसम्बर 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और सूचना दी कि सभी छः सेवा प्रदाताओं के संबंध में ₹ 56.18 लाख के लिए कारण बताओ जापन जारी किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी सूचना दी कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में प्रावधानों को सम्मिलित करने संबंधी लेखापरीक्षा सिफारिश विचाराधीन हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की गई सेवाओं के ब्यौरों का उल्लेख करने के लिए आवधिक विवरणी में कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए, विवरणियों की सामान्य संवीक्षा द्वारा भी चूक का पता लगाना संभव नहीं था।

3.6.2 इसी प्रकार, सेवा कर 7 जुलाई 1997 से श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी की सेवा पर उदाग्रहीत किया गया है। सेवा के कार्यक्षेत्र को किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से या अन्यथा श्रमबल की भर्ती या आपूर्ति के लिए किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लिप्त किसी व्यक्ति को कवर करने के लिए 16 जून 2005 से विस्तारित की गई थी। इस प्रकार, श्रमिक वर्ग की आपूर्ति के लिए ठेके को भी सेवा कर के अन्तर्गत कवर किया गया है और श्रमिक वर्ग को उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों को 16 जून 2005 से सेवा कर का भुगतान करना पड़ेगा।

पटना आयुक्तालय में दो निर्धारितियों में निओ कार्बन्स प्रा. लि. और मै. कनिष्क कार्बन्स प्रा. लि. के सेवा कर संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती तीन सेवा प्रदाताओं से श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी सेवाएं प्राप्त कर रहे थे। दोनों निर्धारितियों ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान इन सेवा प्रदाताओं को ₹ 1.31 करोड़ का भुगतान किया था। इन सेवा प्रदाताओं में से किसी को भी विभाग में पंजीकृत नहीं पाया गया था। आयुक्तालय अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के डीजीएसटी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप तीन सेवा प्रदाताओं ने ₹ 13.99 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जोकि ब्याज और शास्ति सहित वसूलीयोग्य था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (जुलाई 2009 और मार्च 2012), आयुक्तालय ने कहा (मार्च 2013 और अप्रैल 2013) कि एक सेवा प्रदाता ने ₹ 2.16 लाख जमा कराए थे। इसके अलावा, ब्याज और शास्ति सहित ₹ 12.10 लाख के लिए मांग और कारण बताओं जापन तीन सेवा प्रदाताओं को जारी किया गया था।

हमने पाया कि एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने अक्टूबर 2011 में कनिष्क कार्बन्स प्रा. लि. में लेखापरीक्षा की थी लेकिन यह आयुक्तालय या संबंधित सहायक पदाधिकारियों को इन तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की देयता/प्रावधान के पूरा न होने के बारे में कोई ब्यौरे देने में विफल रहा जो चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने को सरल बनाता।

हमने यह भी देखा कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे सेवा प्रदाताओं की सूचि के बारे में आयुक्तालय/मंडल/रेंज को सूचना देने के लिए प्रावधान नहीं हैं; ऐसे प्रावधान का सम्मिलन सेवा प्रदाताओं की पंजीकरण की निगरानी और उनके द्वारा सेवा कर के भुगतान की सुनिश्चितता को सरल बनाएगा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते समय (फरवरी 2014) सूचना दी कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में प्रावधानों के सम्मिलन से संबंधित लेखापरीक्षा सिफारिश विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की गई सेवाओं के ब्यौरों को उल्लेख करने के लिए आवधिक विवरणी में कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए, विवरणियों की सामान्य संवीक्षा द्वारा भी चूक का पता लगाना संभव नहीं था।

सिफारिश: आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा (लेखापरीक्षित) निर्धारितियों को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ऐसे सेवा प्रदाताओं की सूची के बारे में आयुक्तालय/मंडल/रेंज को सूचना देने की अपेक्षा करने वाले उपयुक्त प्रावधान सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में शामिल किए जाए क्योंकि ऐसे प्रावधानों का सम्मिलन सेवा कर आधार के विस्तारण को सुगम बनाएगा और अधिक राजस्व सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को अननुपालन के लिए उपयुक्त दंड विषयक खण्ड सहित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सेवाओं के ब्यौरों पर जानकारी मंगवाने के लिए एसटी 3 विवरणी में स्थान देने की व्यवहार्यता पर विचार करने की आवश्यकता है, यह विशेष सीमा तक सेवा कर आधार के विस्तारण को सरल बनाएगा।

3.7 अनिवार्य इकाईयों के कवरेज के लिए मानकों का अपर्याप्त अनुपालन

सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 का पैरा 5.1.2 बताता है कि वर्ष में ₹ 3 करोड़ या अधिक (नकद+सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से की जानी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निर्देशों के साथ पठित 2003 की पहली मेनुअल में समतुल्य प्रावधान ने अधिदेशित किया कि वर्ष में ₹ 50 लाख या अधिक (नकद+सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा

प्रदाताओं की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से की जानी थी।⁶⁴ तथापि, निर्धारिती के परिसर में सेवा कर अभिलेखों की हमारी जांच के क्रम में हम ऐसी इकाईयां जिसे विभागीय मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित था, यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया था में सेवा कर के गैर भुगतान/कम भुगतान के कुछ मामलों का पता लगा सके, इनकी चर्चा नीचे की गई है:

3.7.1 एसटी । आयुक्तालय, मुम्बई की आंतरिक लेखापरीक्षा दलों ने 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान 239 इकाईयां (85 श्रेणी क इकाईयां, 93 श्रेणी ख इकाईयां, 52 श्रेणी ग इकाईयां, 9 श्रेणी घ इकाईयां) को कवर किया था। 700 अनिवार्य इकाईयां में से केवल 85 इकाईयां वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में कवर की गई इसकी तुलना में 154 गैर अनिवार्य इकाईयां लेखापरीक्षा में कवर की गई थी। संचित निधि में प्राप्त न होने वाले सेवा कर और/या ब्याज देय राशि के जोखिम को निम्नलिखित मामलों द्वारा स्पष्ट किया गया है जो निर्धारिती परिसर में अभिलेखों की सीईआरए की जांच के दौरान सामने आए थे।

सेवा कर आयुक्तालय मुम्बई 1 में ऐसी एक अनिवार्य इकाई में, एस्सार इन्वेस्टमेंट लि. के एसटी-3 विवरणियों और दूसरे अभिलेखों की सीईआरए की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती के वर्ष 2011-12 के दौरान कई महीनों में सेवा कर का भुगतान विलम्ब से किया था। सेवा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए भुगतान योग्य कुल ब्याज ₹ 1.40 करोड़ था, जबकि निर्धारिती ने केवल ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान किया था। ₹ 37.92 लाख की शेष राशि निर्धारिती से वसूल की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि, यह इकाईयां 'प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य' के अन्तर्गत आती है तथापि 2008 की पश्च अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इसकी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (मार्च 2013), मंत्रालय ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि निर्धारिती ने मई 2013 में ₹ 37.92 लाख जमा किए थे। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि मुम्बई एसटी । आयुक्तालय निर्धारितियों की संख्या और साथ ही राजस्व संग्रहण दोनों के संबंध में देश में सबसे बड़ी है। उपलब्ध स्टाफ के साथ मैन्युअल में निर्धारित अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करना सम्भव नहीं है। वास्तविक लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारिती का सामान्यतः 5 वर्षों का डाटा कवर किया जाता है।

3.7.2 हमने नागपुर आयुक्तालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों के चयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की और पाया कि वर्ष 2010-11 के लिए आयुक्तालय ने अनिवार्य गैर इकाईयां की महत्वपूर्ण संख्या को अलेखापरीक्षित छोड़ते हुए गैर-अनिवार्य इकाईयां की लेखापरीक्षा की जिसे नीचे दर्शाया गया है:

⁶⁴ पत्राफ.संख्या 381/145/2005 दिनांक 6 जून 2006 के माध्यम से 31 मार्च 2011 तक लागू।

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	निर्धारित इकाईयों की संख्या	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए निश्चित इकाईयों की संख्या	नियोजित इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां
₹ 50 लाख से अधिक	102	102	52	10
₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख के बीच	60	30	10	6
₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख के बीच	88	17	32	30
₹ 10 लाख से कम	2261	44	27	14

यह तालिका दर्शाती है कि केवल 10 अनिवार्य इकाईयां की लेखापरीक्षा की गई थी जबकि लेखापरीक्षित गैर अनिवार्य इकाईयां 50 थीं। अनिवार्य इकाईयों की लागत पर गैर अनिवार्य इकाईयों की प्रोगैमिंग में जोखिम को सीईआरए द्वारा देखे गए निम्नलिखित मामलों द्वारा दर्शाया गया है।

नागपुर आयुक्तालय में, एक अनिवार्य इकाई मै. गोंडवाना इंजीनियर्स प्रा. लि. जिसकी लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा नहीं की गई थी, के 2011 में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारित ने सीपीसीएल, चेन्नई के लिए सागर जल विलवणीकरण परियोजना के संबंध में डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिविल निर्माण और सामग्री की आपूर्ति की सेवाओं को उपलब्ध कराने के एक मुश्त टर्नकी ठेका के लिए मै. इओन एक्सचेंज (इंडिया) लि. मुम्बई के साथ एक करार किया था। निर्धारित ने जून 2007 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान ₹ 645.98 लाख का प्रतिफल प्राप्त किया था लेकिन कम्पनी ने 18.13 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जोकि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जनवरी 2014) और कहा कि निर्धारित को 21.10 लाख के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे सूचना दी कि वि.व. 10 और वि.व. 11 के दौरान सभी सेवा कर निर्धारितियों के संबंध में पूरे डाटा आयुक्तालय की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, सभी अनिवार्य इकाईयों की पहचान नहीं की जा सकी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की सीमा में सभी अनिवार्य और प्रमुख सेवा कर दाताओं को कवर करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जा रहे थे।

3.7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के कारण राजस्व प्राप्ति में विलम्ब

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(3) बताती है कि करयोग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में ऐसे सेवा के प्रावधान के पहले, दौरान या बाद की करयोग्य सेवा के प्रति प्राप्त की गई कोई राशि शामिल होगी। अधिनियम की धारा 75 बताती है कि जिसने

किसी सेवा कर या उसके भाग का अनुबंधित अवधि में भुगतान नहीं किया है, कर भुगतान का दायी वह व्यक्ति निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय ने मै. सिमेन्स वीएआई मेटल्स टेक्नोलोजिज लि. ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान कई ठेकों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के प्रतिपादन के लिए ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किया था। इसके आगे संवीक्षा ने बताया कि इन अग्रिमों की राशि का रनिंग अकाउंट (आरए) बिल्स के माध्यम से बाद में समायोजित किया गया था और सेवा कर का भुगतान अग्रिम प्राप्ति के समय पर भुगतान की बजाय आरए बिलों की उगाही के समय किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ अग्रिम थे जोकि समायोजन के लिए लम्बित थे और जिसके संबंध में सेवा कर का भुगतान अभी किया जाना था। अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप कुल असमायोजित राशि पर ₹ 159.51 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ; जिसे ₹ 51.85 लाख के ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना था। निर्धारिती समायोजित राशि पर सेवा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ₹ 6.72 लाख के ब्याज भुगतान का भी दायी था।

लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों के चयन हेतु मानकों के अनुसार (कवर की गई अवधि के दौरान लागू) सेवा कर के प्रति ₹ 50.00 लाख (नकद सहित सेनवेट) से अधिक का भुगतान करने वाली इकाईयों की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जानी थी। हमने पाया कि 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की राशि क्रमशः ₹ 4.08 करोड़, ₹ 2.55 करोड़ और ₹ 8.20 करोड़ थी। तथापि, उक्त वर्षों में से किसी के भी दौरान इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन न करने के परिणामस्वरूप सरकार को देय महत्वपूर्ण राजस्व विचारणीय अवधि के लिए सरकारी खाते से बाहर रहा।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते और ₹ 226.55 लाख की वसूली (ब्याज सहित) की सूचना देते समय मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2014) कि सेवा कर आयुक्तालय कोलकाता में निर्धारितियों की कुल संख्या बहुत अधिक थी और आंतरिक लेखापरीक्षा में तैनात अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त थी। हालांकि, 2008-09 से 2011-12 की अवधि की आंतरिक लेखापरीक्षा मई 2013 में की गई।

3.7.4 निर्माण, कमिश्निंग अथवा स्थापन सेवाओं पर सेवा कर का गैर-भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 यथा संशोधित के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के अनुसार, सेवा कर का केंद्र सरकार के खाते में महीने के छठवें दिन तक भुगतान किया जाएगा, यदि शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है तथा महीने की पाँचवे दिन किसी अन्य मामले में, तत्काल आगामी कैलेण्डर माह में किया जाएगा, जिसमें भुगतान प्राप्त किया गया हो। धारा 73 के अनुसार जहाँ किसी सेवा

कर का उद्ग्रहण या भुगतान किया गया हो या कम उद्ग्रहण अथवा कम भुगतान किया गया हो, केंद्रीय उत्पाद अधिकारी संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा कर प्रभारित किए जाने वाले व्यक्ति, जिससे उद्ग्रहण या भुगतान नहीं किया गया हो अथवा कम उद्ग्रहण किया गया हो, से यह कारण बताने के लिए कि क्यों उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं करना चाहिए, को नोटिस जारी करें।⁶⁵

कालीकट आयुक्तालय में एक निर्धारिती में. वेल इरेक्टर्स ऑफ न्यू इंजीनियरिंग ने 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2011 तक की अवधि के दौरान संग्रहीत ₹ 36.26 करोड़ (कर सहित) पर ₹ 3.36 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। देय सेवा कर पर ब्याज ₹ 99.94 लाख (31 मार्च 2012 तक) था। चूँकि निर्धारिती ने इनपुट्स पर अदा शुल्क का क्रेडिट लिया था, यह करयोग्य सेवा के मूल्य से 67 प्रतिशत छूट का पात्र नहीं था। इस दौरान निर्धारिती ने विवरणियाँ भी दाखिल नहीं की थी। मंडल/रैंज ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अंतर्गत निर्धारिती के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2012), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि चूँकि निर्धारिती ने सीईआरए को एक बैंक खाता के विवरण का खुलासा नहीं किया था इसलिए करयोग्य मूल्य में ₹ 58.17 लाख की वृद्धि हुई। तदनुसार आयुक्तालय ने सेवा कर देयता को दुबारा देखा था और बताया कि जनवरी 2009 से सितम्बर 2012 की अवधि के लिए कुल सेवा कर देयता में से निर्धारिती ने 1 जनवरी 2009 से 30 सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 109.28 लाख का भुगतान किया। जिसमें से ₹ 10.51 लाख का भुगतान अभिलेखों की सीईआरए की जाँच से पहले किया गया। आयुक्तालय ने आगे यह भी कहा कि अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान संग्रहीत ₹ 24.02 करोड़ के करयोग्य मूल्य पर ₹ 2.48 करोड़ की वसूली नहीं गयी सेवा कर देयता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु आवर्ती मानकों के अनुसार, यह इकाई वर्ष 2009-10 के लिए अनिवार्य श्रेणी में आती है और इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी थी। हालांकि इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जिसके कारण सीईआरए द्वारा बताए जाने तक इस अपवंचन का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति मान लिया कि (मार्च 2014) 1 जनवरी 2009 से 30 सितम्बर 2013 की अवधि के लिए ₹ 4.11 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 मार्च 2014 को जारी कर दिया गया है। हालांकि निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

⁶⁵ वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 28 मई 2012 से "एक वर्ष" की जगह "अठारह महीने"।

3.7.5 ड्रेजिंग सेवाओं के तहत सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडबी) (जैसा 1.7.2012 से पूर्व लागू था) के तहत ड्रेजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई सेवा करयोग्य सेवा है।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 में प्रावधान है कि सेवा कर का भुगतान आगामी माह जिसमें करयोग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति भुगतान प्राप्त किए जाते हैं; की 6^{वीं}/5^{वीं} तारीख को किया जाए, जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर केंद्र सरकार के खाते में कर या इसका कोई भाग जमा करने में विफल व्यक्ति को उस अवधि के लिए निर्धारित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा जिसके लिए ऐसे कर या उसका कोई भाग जमा करने में विलम्ब हुआ हो।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में मै. मैकिंटोश लिमिटेड ने 'बेहतर ड्रेनेज और बाढ़ प्रबंधन हेतु इकामती नदी से बालू निकालने' के लिए अगस्त 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने पर ₹ 2457.18 लाख प्राप्त किया। इस शीर्ष के तहत प्रदत्त सेवाएं ड्रेजिंग सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थीं और निर्धारिती से उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2457.18 लाख की कुल प्राप्ति पर ₹ 253.09 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर का भुगतान देय था। हालांकि, निर्धारिती ने केवल ₹ 31.77 लाख (उपकर सहित) की सेवा कर देयता का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 221.32 लाख (उपकर सहित सेवा कर) का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना था।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर, 2011), मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उठाई गई मांग की ब्याज और जुर्माना सहित अधिनिर्णय में पुष्टि कर दी गई थी और आयुक्तालय ने ₹ 31.77 लाख (उपकर सहित) पहले ही समायोजित कर लिया था जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि आयुक्तालय में निर्धारितियों की संख्या बहुत अधिक है। इसके बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों द्वारा महानिदेशक, लेखापरीक्षा के विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा चयनित बहु-स्थानिक सेवाप्रदाताओं के साथ-साथ/समंवित सेवा कर लेखापरीक्षा की जानी और संबंधित एलटीयू आयुक्तालय से प्राधिकरण के अनुसार एलटीयू निर्धारितियों की भी लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। यह भी कहा गया कि उक्त कारणों से सेवा कर लेखापरीक्षा मैन्युअल, 2011 में निर्धारित मानकों के अनुरूप अपेक्षित सभी श्रेणी 'क' लेखापरीक्षाएं करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का मौजूदा श्रमबल पर्याप्त नहीं है।

3.7.6 कारोबार सहायक सेवा के तहत सेवा कर का गैर-भुगतान

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में कार्य ठेका सेवाओं, वाणिज्यिक या औद्योगिक विनिर्माण सेवाओं, निर्माण, चालू करने और स्थान सेवा आदि प्रदान करने वाली मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन, की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने ग्राहकों के कारोबार और वाणिज्य में सहायता हेतु सेवार्ये देने के लिए 'संबंधित इकाईयों को सेवा प्रभार', 'संबंधित इकाईयों के स्टील विचलन पर उपरिव्यय प्रभारों', निविदा मूल्य, 'अतिथि गृह' प्रभारों आदि शीर्ष के तहत 2010-11 के दौरान ₹ 126.53 लाख का संग्रहण किया था। यद्यपि इस तरह की गतिविधियां कारोबार सहायता सेवाओं के तहत आती हैं, निर्धारिती ने इन मदों पर कारोबार सहायता सेवाओं से संबंधित ₹ 13.03 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। निर्धारिती द्वारा ऐसे सेवा कर के गैर-भुगतान के लिए उल्लिखित अधिनियम की धारा 75 के तहत लागू ब्याज का भुगतान भी देय था।

जब हमने इसे बताया (जुलाई 2011), मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उठाई गई मांग की ब्याज और जुर्माने के साथ अधिनिर्णयन में पुष्टि हो गयी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि आयुक्तालय में निर्धारितियों की कुल संख्या बहुत अधिक है। इसके बावजूद, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों द्वारा महानिदेशक, लेखापरीक्षा के विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा चयनित बहुस्थानिक सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ/संभावित सेवा कर लेखापरीक्षा की जानी और संबंधित एलटीयू आयुक्तालय से प्राधिकरण के अनुसार एलटीयू निर्धारितियों की भी लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। यह भी कहा गया कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में निर्धारित मानकों के अनुसार अभी सभी श्रेणी ए लेखापरीक्षाएं करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का मौजूदा श्रमबल पर्याप्त नहीं है।

3.7.7 पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का गैर-उत्क्रमण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि पूँजीगत माल जिस पर क्रेडिट लिया गया हो, को आउटपुट सेवाओं के प्रदाताओं के परिसर से किसी भी तरह हटा दिया जाता है तो ऐसे पूँजीगत माल के संबंध में आउटपुट सेवा प्रदाताओं को लिए गए क्रेडिट के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा नियमित रूप से ली गई सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के तहत ब्याज सहित वसूली योग्य है।⁶⁶

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में, टेलीकम्युनिकेशन, व्यापार सहायक सेवाएं, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी सेवाएं आदि प्रदान करने वाली मै. वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड ने 2009-10 की अवधि के दौरान मै. वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, मुंबई को ₹ 1282.99 लाख

⁶⁶ सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 14 के पूर्व 17.3.2012 से संशोधित की जाने की स्थिति।

मूल्य का पूँजीगत माल बेचा। निर्धारिती ने इस पर पहले ही सेनवेट क्रेडिट ले लिया था। हालांकि निर्धारिती ने उपरोक्त सांविधिक प्रावधान के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद भी बेचे गए माल के संबंध में ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) की सेनवेट के बराबर की राशि का भुगतान नहीं किया। ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) का गैर उत्क्रमित सेनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (जून 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (जनवरी 2014) और ब्याज तथा जुर्माने के बराबर की धनराशि के साथ ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) की मांग की पुष्टि की। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारितियों की कुल संख्या की तुलना में श्रमबल की कमी के कारण सभी अनिवार्य इकाईयों की लेखापरीक्षा करना संभव नहीं है।

हमने देखा कि पैरा 3.7 के तहत लेखापरीक्षा आपत्तियां और मंत्रालय का उत्तर इस रिपोर्ट के पैरा 1.18 और 1.19 में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करते हैं कि विस्तृत संवीक्षा की कम प्रतिशतता के साथ जुड़ी उच्च राजस्व इकाईयों को शामिल करने में भारी कमी मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं।⁶⁷

3.8 विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा: रैंजो में एसटी-3 विवरणियों की जांच करते समय हमने एक मामले में देखा कि प्राधिकरणों की नोटिस से कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी से बच जाना विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण था।

3.8.1 सेवा कर का कम भुगतान

सेवा कर विवरणी की संवीक्षा की मेनुअल, 2009 में सेवा कर विवरणी की प्राथमिक और विस्तृत संवीक्षा के लिए प्रावधान हैं। सेवा कर विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की जांच मेनुअल के अध्याय 2 में दिए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ देय कर और भुगतान किए गए कर में किसी कमी का पता लगाने के लिए विवरणी की अंकगणितीय सटीकता की जांच भी शामिल है। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के अनुसार, महीने के 6वें दिन तक केंद्र सरकार के क्रेडिट में सेवा कर कर का भुगतान किया जाएगा, यदि शुल्क इलेक्ट्रॉनिकली जमा किया जाता है तथा महीने के 5वें दिन तक, अन्य किसी मामले में आगे आने वाले तात्कालिक माह में जिसमें सेवा प्रदान किया जाना संभावित हो। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के अनुसार यदि निर्धारिती ने वास्तविक तथ्यों का पूर्णतः खुलासा कर दिया है तो 'संबंधित तिथि' से अठारह महीनों के भीतर एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तथ्यों को छुपाने, जानबूझकर गलत विवरण देने, धोखाधड़ी या मिलीभगत के मामले में 'संबंधित तिथि' से पांच वर्षों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

⁶⁷ 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17, पैरा सं. 1.88, पृष्ठ 27 में पूर्व में उठाये गए मुद्दे।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

गुवाहाटी आयुक्तालय के ईटानगर सेवा कर मंडल में ईटानगर रेंज के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए तीन निर्धारितियों यथा मै. अरूणांचल कार्बन इंडस्ट्रीज, मै. जे.के. एसोसिएट्स और मै. सत्यम इस्पात नार्थ ईस्ट लिमिटेड से कुल ₹ 134.40 लाख सेवा कर वसूल किया जाना था। हालांकि केवल ₹ 4.69 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹ 134.40 लाख की राशि का अभी भी भुगतान किया जाना था जो ब्याज सहित वसूलीयोग्य है। जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2012), आयुक्तालय ने तीन मामलों से संबंधित ₹ 138.65 लाख की वसूली की सूचना दी (जनवरी 2014)। हालांकि मै. अरूणांचल कार्बन इंडस्ट्रीज और मै. सत्यम इस्पात एनई लिमिटेड के संबंध में ब्याज की वसूली अभी भी लंबित है।

हमने यह भी देखा कि रेंज में प्राधिकारी विवरणियों की मैनुअली संवीक्षा करते थे, वे सेवा कर के कम भुगतान का पता लगाने में विफल रहे। विवरणियों की अनुचित संवीक्षा के कारण सेवा कर के कम भुगतान अधिकारियों की नजर से बच गए। हमने देखा कि ये सभी विवरणी एसीईएस विवरणी थे और मौजूदा निर्देशों के अनुसार एक बार एसीईएस माइयूल के परिचालित होने पर एसीईसी के माध्यम से सभी विवरणियों की संवीक्षा (प्रारंभिक) की जानी चाहिए। इन मामलों में, हमने देखा कि मैनुअल संवीक्षा में चूकों के अलावा एसीईसी भी दाखिल किए गए विवरणी में कमियां ढूंढने में विफल रहा या समीक्षा और सुधार हेतु एसीईसी द्वारा चिन्हित किए जाने पर भी इस आधार पर रेंज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2014) मंत्रालय ने बताया कि वसूल किए गए सेवा कर के साथ ब्याज के प्रति ₹ 30.79 लाख की वसूली की गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि चूँकि ईटानगर मंडल के पास एसीईसी सुविधा नहीं है, एस्टी विवरणी की मैनुअली समीक्षा की जाती है। विवरणियों की समुचित संवीक्षा करने के लिए रेंज के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

3.9 अन्य मामले

3.9.1 कारण बताओ नोटिस जारी करने में अत्याधिक विलम्ब

वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 73(1) के अनुसार जहां किसी सेवा कर की वसूली या भुगतान नहीं किया गया था, केंद्रीय उत्पाद अधिकारी संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा कर प्रभारित व्यक्ति से यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करे कि उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। जहां धोखाधड़ी

के द्वारा किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया हो, इस उपधारा के प्रावधान लागू होंगे जहां तक शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष' कर दिया गया था।⁶⁸

वित्त अधिनियम, की धारा 70 के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7(1) और 7(सी) में परिकल्पना है कि सेवा कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा दी गई सेवाओं पर बकाया कर का स्वयं निर्धारण करना होगा तथा उस विशेष आगामी छमाही के महीने की 25वीं तारीख तक फार्म एसटी 3 में छमाही विवरणी केंद्रीय उत्पाद अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। विलम्बित विवरणी प्रस्तुत करने के मामले में बीस हजार से अधिक नहीं के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाए।

सेवा कर विवरणी की संवीक्षा मेनुअल, 2009 में रेंज अधिकारी द्वारा सभी विवरणी (खण्ड 1.2 बी) की प्राथमिक संवीक्षा करने का प्रावधान है। खण्ड 1.2.1(ई) के अनुसार, इस संवीक्षा का उद्देश्य विवरणी दाखिल न करने वाले और विवरणी दाखिल करना बन्द कर चुके निर्धारितियों की पहचान करना भी है।

कोचीन आयुक्तालय में एक केंद्रीय उत्पाद निर्धारिती, मै. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड ने दो ठेकेदारों यथा मै. जे एण्ड एस कंस्ट्रक्शन्स, कलमासेरी और श्री एम.के. शाहनवाज, वट्टेकुनम को दिए गए ₹ 118.28 लाख के भुगतान पर वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 14.62 लाख राशि का सेनवेट क्रेडिट लिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, कलमासेरी में सत्यापन से पता चला कि मै. जे एण्ड एस कंस्ट्रक्शन द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या का पता नहीं लग रहा था और श्री एम.के. शाहनवाज ने वर्ष 2006-07 से विवरणी नहीं दाखिल की थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, कलमासेरी के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा (जुलाई 2012) कि वर्ष 2008-09 के दौरान मै. एचएमटी से संग्रहीत ₹ 14.62 लाख के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए दो ठेकेदारों से आयुक्तालय द्वारा मांग नहीं जारी की गई। जुलाई 2012 में मै. एचएमटी की अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान दो ठेकेदारों को किए कर के भुगतान पर ₹ 39.64 लाख के उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था।

हमने इसे तीन बार बताया (एक बार मार्च 2010 में और दो बार जुलाई 2012 में) लेकिन आयुक्तालय द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि वर्ष 2008-09 के दौरान मै. एचएमटी लिमिटेड से संग्रहीत ₹ 14.62 लाख के सेवा कर का गैर भुगतान मार्च 2010 में आयुक्तालय को बताए जाने के बाद भी कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किए गए थे। चूंकि, एक ठेकेदार ने 2006-07 से विवरणी फाइल करना बन्द कर दिया था और अन्य के पंजीकरण विवरण का पता नहीं चल पा रहा था, ऐसे मामले पहले की अवधियों में भी हो सकते हैं। रेंज के स्तर पर कार्रवाई न करने और उच्च प्राधिकारियों द्वारा

⁶⁸ वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा दिनांक 28.5.2012 से 'एक वर्ष' के स्थान पर 'अठारह माह' कर दिया गया था।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

अपर्याप्त मानिट्रिंग के कारण 2007 से पूर्व की मांगों का प्रतिपादन कालातीत हो गया। इस चूक के कारण और सरकार के खाते में भुगतान किये बिना ठेकेदारों द्वारा इसका अवधारण हुआ। मै. एचएमटी से 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान सेवा कर के रूप में ₹ 39.64 लाख की अतिरिक्त राशि का संग्रहण प्रभावित हुआ।

जब हमने दिसम्बर 2012 में इसे दुबारा बताया तब ही मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि श्री शाहनवाज ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए जुर्माने और ब्याज सहित ₹ 28.89 लाख का भुगतान कर दिया है और ₹ 2.66 लाख की शेष धनराशि के लिए इसने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मै. जे एण्ड एस कस्ट्रक्शन ने न तो सेवा कर का भुगतान किया था और न ही विवरणी दाखिल किया था और इसने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹ 40.44 लाख की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब ठेकेदारों से वांछित दस्तावेज/अभिलेख की गैर-प्राप्ति के कारण था। इसके बाद मै. एचएमटी लिमिटेड से विवरण जुटाने के लिए कार्रवाई की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मंडल/रेंज को मै. एचएमटी लिमिटेड के माध्यम से पहले ही विवरण जुटाना चाहिए था जब इसने देखा कि दो ठेकेदारों को 22 जून 2010 को भेजे गए अपने पत्र के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। ठेकेदार 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियमित आधार पर मै. एचएमटी को सेवायें दे रहे थे। इसके अतिरिक्त, मै. एचएमटी से सरकारी क्रेडिट खाते में दो ठेकेदारों द्वारा देय धनराशि वसूल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 87(बी)(i) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। कारण बताओ नोटिस जारी करने में देरी वर्ष 2007-08 से पूर्व किसी मांग के कालातीत होने का कारण भी है।


3.9.2 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा को समयपूर्व बंद करने के कारण सेवा कर की गैर-वसूली

2008-09 की अवधि के लिए सेवा कर आयुक्तालय, दिल्ली के आंतरिक लेखापरीक्षा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए दिसम्बर 2008 में गुड़गांव स्थित एक निर्धारिती मै. टुडे होटल्स प्रा. लिमिटेड की लेखापरीक्षा की थी। चूँकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने कारोबार समर्थित और इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी सेवाओं के तहत ₹ 87.16 लाख के सेवा कर का कम भुगतान देखा था, इसे कम भुगतान किए गए सेवा कर की अनुवर्ती वसूली के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) में शामिल किया गया था। आयुक्तालय ने 30 जून 2009 तक ₹ 73.22 लाख की वसूली की और यह दर्ज करते हुए कि फाईल पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी,

₹ 13.94 लाख की शेष वसूली के बिना ही 14 जुलाई 2009 को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बन्द कर दी गयी थी।


जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि ₹ 14.57 लाख के ब्याज सहित शेष राशि की वसूली कर ली गई थी। मंत्रालय के उत्तर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि पूरी वसूली किए बिना आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्यों बन्द कर दी गई थी।


नई दिल्ली
दिनांक: 9 अप्रैल 2014


(अनिल चेरियन)
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 9 अप्रैल 2014



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट I

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के केन्द्रीय बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट II

(संदर्भ: पैराग्राफ 2.1)

(लाख ₹)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
1.	1बी	सडक द्वारा माल परिवहन सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	14.50	14.50	14.50	चण्डीगढ़ I
2.	2बी	निर्माण कार्य सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	11.28	11.28	11.28	दिल्ली IV
3.	4बी	सेवा के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	75.96	75.96	75.96	तिरुवनंतपुरम
4.	10बी	तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	12.42	12.42	12.42	चेन्नई एसटी
5.	16बी	तकनीकी निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	56.58	56.58	46.79	हैदराबाद II
6.	23बी	व्यवसायिक प्रदर्शनी और मण्डल व्यवस्था सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	205.64	205.64	-	हैदराबाद II
7.	25बी	वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण कार्य सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	405.50	405.50	-	चण्डीगढ़ I
8.	26बी	प्रबन्धन, अनुरक्षण या मरम्मत सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	53.31	53.31	53.31	सूरत II
9.	39बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न करना	14.28	14.28	14.28	बेंगलुरु एसटी

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
10.	42बी	बंदरगाह सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	403.07	403.07	-	कोलकाता एसटी
11.	44बी	व्यवसाय सहायक सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना	34.67	34.67	27.09	हल्दिया
12.	45बी	सड़क द्वारा माल परिवहन सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	9.72	9.72	7.31	चेन्नई एसटी
13.	47बी	छूट प्राप्त सेवाओं के संदर्भ में राशि का भुगतान न होना	36.61	36.61	19.21	जयपुर ।
14.	50बी	व्यवसाय सहयोगी सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	20.51	20.51	20.51	मुंबई एसटी ॥
15.	18बी	अचल सम्पत्ति सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	11.50	11.50	11.50	अहमदाबाद एसटी
16.	52बी	अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान न होना	33.92	33.92	33.92	कोलकाता एसटी
17.	55बी	प्रबंधन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	94.88	94.88	-	हैदराबाद ॥
18.	76बी	अचल सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	63.74	63.74	-	लुधियाना
19.	77बी	अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर का भुगतान न होना	109.20	109.20	74.60	कोचीन
20.	81बी	अचल सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	10.20	10.20	10.20	गोवा
21.	92बी	श्रमशक्ति भर्ती एवं आपूर्ति एजेन्सी सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	12.55	12.55	12.55	ठाणे ।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
22.	1ए	कार्य करार सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	95.84	95.84	-	सलेम
23.	3ए	श्रमशक्ति भर्ती एवं आपूर्ति एजेन्सी सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	83.73	83.73	-	विशाखापट्टनम ।
24.	4ए	अचल सम्पत्ति सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	42.78	42.78	25.53	हैदराबाद II एवं हैदराबाद IV
25.	8ए	भौतिक माल की आपूर्ति सेवा पर सेवा कर का भुगतान न होना	29.18	27.01	-	बेंगलुरु एसटी
26.	10ए	श्रमशक्ति भर्ती एवं आपूर्ति एजेन्सी सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	4,390.54	4,390.54	-	दिल्ली एसटी
27.	12ए	सडक द्वारा माल परिवहन सेवा पर सेवा कर का भुगतान न करना	22.15	22.15	-	बोलपुर
28.	13ए	अचल सम्पत्ति सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	19.60	19.60	-	कालीकट
29.	17ए	काम्प्लेक्स सेवाओं के निर्माण पर सेवा कर का भुगतान न होना	16.52	16.52	-	कालीकट
30.	24ए	निर्माण सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न होना	21.76	21.76	-	जयपुर ।
31.	35ए	अचल सम्पत्ति सेवाओं के किराए पर सेवा कर का भुगतान न होना	34.07	34.07	31.23	मुंबई एलटीयू
32.	21ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	174.00	174.00	-	दिल्ली एसटी

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
33.	15ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	19.03	19.03	-	चेन्नई एसटी
34.	84बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	23.88	23.88	23.88	दिल्ली एसटी
35.	19बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	29.57	29.57	29.57	सूरत ।
36.	68बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	16.70	16.70	16.70	दमन
37.	71बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	10.65	10.65	10.65	सूरत ॥
38.	73बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	193.98	193.98	-	कोलकाता एसटी
39.	29बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	161.17	161.17	161.17	दिल्ली एसटी
40.	59बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	14.83	14.83	14.83	चेन्नई III
41.	63बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	11.75	11.75	11.75	दिल्ली एसटी
42.	31ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	60.86	60.86	-	हैदराबाद ॥
43.	19ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	24.4	24.4	-	दिल्ली एसटी
44.	34ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	21.14	21.14	-	दिल्ली एसटी

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
45.	40ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	223.00	223.00	-	हैदराबाद II
46.	41ए	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	22.46	22.46	22.46	हैदराबाद IV
47.	5बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	22.89	22.89	22.89	चेन्नई एसटी
48.	8बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	21.52	21.52	-	चेन्नई एसटी
49.	9बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	63.00	63.00	63.00	चेन्नई एसटी
50.	46बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	171.40	171.40	-	जयपुर I
51.	48बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	11.02	11.02	11.02	मुम्बई एसटी I
52.	49बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	44.60	44.60	44.60	बेलापुर
53.	56बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	11.07	11.07	11.07	जयपुर I
54.	65बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	10.74	10.74	10.74	दिल्ली एसटी
55.	75बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	34.01	34.01	34.01	कोलकाता एसटी
56.	88बी	सेवाओं के आयात पर सेवा कर का भुगतान न होना	38.44	38.44	38.44	मुम्बई एसटी II
57.	51बी	सेवा कर की कम वसूली	134.85	134.85	134.85	पटना

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
58.	11बी	सेवा कर की कम वसूली	468.00	468.00	468.00	हैदराबाद ॥
59.	12बी	सेवा कर की कम वसूली	324.00	324.00	324.00	हैदराबाद ॥
60.	14बी	सेवा कर की कम वसूली	73.48	73.48	18.11	हैदराबाद ॥
61.	17बी	सेवा कर की कम वसूली	12.34	12.34	12.34	अहमदाबाद एसटी
62.	20बी	सेवा कर की कम वसूली	696.00	696.00	-	राजकोट
63.	74बी	सेवा कर की कम वसूली	228.36	228.36	-	जमशेदपुर
64.	26ए	सेवा कर की कम वसूली	8.68	8.68	8.68	दमन
65.	30ए	सेवा कर की कम वसूली	73.81	73.81	-	हैदराबाद ॥
66.	21बी	सेवा कर की कम वसूली	40.96	40.96	40.96	वापी
67.	24बी	सेवा कर की कम वसूली	18.26	18.26	18.26	विशाखापट्टनम ॥
68.	28बी	सेवा कर की कम वसूली	278.42	278.42	139.20	बेंगलुरु एलटीयू
69.	30बी	सेवा कर की कम वसूली	25.00	25.00	25.00	दिल्ली एसटी
70.	32बी	सेवा कर की कम वसूली	239.00	239.00	239.00	दिल्ली एसटी
71.	35बी	सेवा कर की कम वसूली	1,345.00	1,345.00	1,345.00	दिल्ली एसटी
72.	37बी	सेवा कर की कम वसूली	20.56	20.56	20.56	दिल्ली एसटी
73.	40बी	सेवा कर की कम वसूली	31.98	31.98	-	बेंगलुरु एसटी
74.	41बी	सेवा कर की कम वसूली	4,238.64	4,238.64	-	कोलकाता एसटी
75.	43बी	सेवा कर की कम वसूली	289.98	289.98	-	कोलकाता एसटी

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
76.	53बी	सेवा कर की कम वसूली	89.88	89.88	45.75	कोलकाता एसटी
77.	58बी	सेवा कर की कम वसूली	16.48	16.48	16.48	चेन्नई एसटी
78.	60बी	सेवा कर की कम वसूली	19.48	19.48	19.48	पुडुचेरी
79.	62बी	सेवा कर की कम वसूली	73.63	73.63	73.63	दिल्ली एसटी
80.	64बी	सेवा कर की कम वसूली	15.47	15.47	15.47	दिल्ली एसटी
81.	66बी	सेवा कर की कम वसूली	16.64	16.64	16.64	अहमदाबाद III
82.	67बी	सेवा कर की कम वसूली	11.37	11.37	11.37	वड़ोदरा II
83.	70बी	सेवा कर की कम वसूली	10.77	10.77	10.77	अहमदाबाद एसटी
84.	80बी	सेवा कर की कम वसूली	21.43	21.43	21.43	मुंबई एसटी I
85.	82बी	सेवा कर की कम वसूली	21.15	21.15	-	मैंगलोर
86.	91बी	सेवा कर की कम वसूली	34.91	34.91	34.91	हैदराबाद IV
87.	93बी	सेवा कर की कम वसूली	92.57	92.57	92.57	पुणे I
88.	11ए	सेवा कर की कम वसूली	209.00	209.00	-	दिल्ली एसटी
89.	14ए	सेवा कर की कम वसूली	871.60	871.60	-	कोयम्बटूर
90.	16ए	सेवा कर की कम वसूली	11.49	11.49	-	कालीकट
91.	23ए	सेवा कर की कम वसूली	107.49	107.49	-	बैंगलुरु एसटी
92.	25ए	सेवा कर की कम वसूली	13.18	13.18	13.18	दमन
93.	29ए	सेवा कर की कम वसूली	59.19	49.22	-	हैदराबाद IV

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
94.	32ए	सेवा कर की कम वसूली	12.45	12.45	12.45	हैदराबाद II
95.	38ए	सेवा कर की कम वसूली	66.45	66.45	1.13	रांची
96.	16डी	सेवा कर की कम वसूली	21.27	21.27	-	मैंगलोर
97.	21डी	सेवा कर की कम वसूली	10.61	10.61	10.61	मुंबई एसटी I
98.	6बी	ब्याज का भुगतान न करना	36.18	36.18	36.18	पुडुचेरी
99.	15बी	ब्याज का भुगतान न करना	23.66	23.66	23.50	हैदराबाद IV
100.	33बी	ब्याज की कम अदायगी	10.09	10.09	10.09	दिल्ली एसटी
101.	69बी	ब्याज का भुगतान न करना	28.92	28.92	28.92	दमन
102.	79बी	ब्याज का भुगतान न करना	98.67	98.67	98.67	मुंबई एसटी I
103.	83बी	ब्याज का भुगतान न करना	91.93	91.93	91.93	जयपुर I
104.	90बी	ब्याज का भुगतान न करना	16.34	16.34	16.34	मुंबई I
105.	18ए	ब्याज का भुगतान न करना	23.93	23.93	23.93	दिल्ली एसटी
106.	20ए	ब्याज का भुगतान न करना	19.02	19.02	19.02	दिल्ली एलटीयू
107.	39ए	ब्याज का भुगतान न करना	35.04	35.04	-	मुंबई एसटी I
108.	42ए	ब्याज का भुगतान न करना	33.14	33.14	-	नोएडा
109.	7बी	सेवा कर का अनुचित भुगतान	42.69	42.69	42.69	चेन्नई एसटी
110.	13बी	अयोग्य पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना	161.03	161.03	-	विशाखापत्तनम II
111.	27बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	30.17	30.17	30.17	बैंगलुरु I

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
112.	31बी	सेनवेट क्रेडिट की वापसी न होना	12.25	12.25	12.25	दिल्ली एसटी
113.	34बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति और उपयोग	25.09	25.09	25.09	दिल्ली एसटी
114.	36बी	सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	18.29	18.29	18.29	दिल्ली एसटी
115.	38बी	सेनवेट क्रेडिट की अधिक प्राप्ति	28.21	28.21	28.21	बंगलुरु एसटी
116.	57बी	छूट प्राप्त आऊटपुट सेवा प्रदान करने हेतु उपयोग की गई इनपुट सेवा पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट	10.74	10.74	10.74	मुंबई एसटी II
117.	61बी	कर योग्य और छूट प्राप्त सेवाओं हेतु अलग खाता न बनाया जाना	13.59	13.59	13.59	दिल्ली एसटी
118.	72बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	2,533.96	2,533.96	-	कोलकाता एसटी
119.	78बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	24.76	24.76	24.76	मुंबई एलटीयू
120.	86बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	55.96	55.96	-	कोलकाता एसटी
121.	94बी	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	11.10	11.10	11.10	पुणे III
122.	95बी	सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	108.77	108.77	108.77	रांची
123.	5ए	सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	39.27	39.27	-	वापी
124.	6ए	अपात्र सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	795.34	795.34	-	भुवनेश्वर II
125.	9ए	सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति	24.83	24.83	-	बंगलुरु एसटी

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम संख्या	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि	आयुक्तालय का नाम
126.	33ए	रियायती सेवाएं देने में उपयोग की गई सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट को वापस न लिया जाना	28.91	28.91	-	सूरत II
127.	11डी	इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति	216.65	216.65	216.65	चेन्नई एसटी
128.		लघु राशि मूल्य आपत्तियां जिन्हे विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था और परिशोधक कार्रवाई की गई लेकिन ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में परिवर्तित नहीं किया गया था।	572.93	572.93	520.20	
		जोड़	23,407.61	23,395.47	5,629.89	

शब्दावली

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का स्वचालन
एआर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
बीई	बजट प्राक्कलन
बीआईएफआर	औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
सीएएटीज	कम्प्यूटर एडड ऑडिट तकनीक
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
सीसीई	आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य संवर्धन कर
सीईआरए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सेसटेट	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, और सेवा कर अपीलीय प्राधिकरण
सीओएमएम (अपील)	आयुक्त (अपील)
आयुक्तालय	कमिश्नर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर का कार्यालय
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आसूचना)
डीजीएसटी	महानिदेशक सेवा कर
डीजीआईसीसीई	महानिदेशक निरीक्षण केन्द्रीय, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीओआर	राजस्व विभाग
एफवाई	वित्त वर्ष

जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीए	माल परिवहन एजेंसी
जीटीआर	सकल कर राजस्व
हडको	आवासीय और शहरी विकास निगम
आईएआर	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
आईसीटी	इंफार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नॉलाजी
इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
इंटोसाई गोव	सुशासन के लिए इंटोसाई मार्गदर्शन
एलटीयू	बड़े करप्रदाता इकाई
मंत्रालय/विभाग	वित्त मंत्रालय/राजस्व विभाग
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
पीएलए	व्यक्तिगत बहीखाता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरए बिल	चालू खाता बिल
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफडी	परिणामी ढाँचा दस्तावेज
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
सिडबी	भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक
एसटी	सेवा कर
टीआरयू	कर अनुसंधान इकाई

